समेकित जिला नियोजन

कार्य से जुड़े

जिला योजना समिति सदस्यों

के क्षमता विकास के लिये

प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

समेकित जिला नियोजन

कार्य से जुड़े

जिला योजना समिति सदस्यों

के क्षमता विकास के लिये

प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

प्राक्कथन

लोकतंत्र में जन सामान्य का स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में यदि विकास की योजनाओं को भी लोगों के द्वारा ही बनाया जाय तो यह लोकतंत्र की सबसे अच्छी स्थिति साबित होगी। लोकतंत्र के इन्हीं सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर संविधान में संशोधन करके और नियमों और कानूनों में बदलाव लाकर विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को बढ़ाने के लिये अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश देश के उन राज्यों में से है जिन्होंने विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था को साकार करने की दिशा में पहल की है। 'ग्राम स्वराज' के सपने को साकार करने के लिये राज्य सरकार के द्वारा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के बाद से ही अनेक प्रयास लगातार किये जा रहे हैं। इन प्रयासों से राज्य में विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था को बढ़ावा भी मिला है। मध्यप्रदेश सरकार के इन प्रयासों से देश के अन्य राज्यों के लिये नई सीखों के कई अवसर भी मिले हैं।

मध्यप्रदेश में विकेन्द्रीकृत आयोजना संबंधी सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने की दिशा में राज्य योजना आयोग ने भी अपनी ठोस भूमिका निभायी है। पिछले कुछ वर्षों से राज्य योजना आयोग द्वारा राज्य के सभी जिलों में चरणबद्ध विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिये जिला योजना समितियों द्वारा जिला योजनाओं को बनाने का काम शुरू किया गया है। यद्यपि इस काम में कुछ दिक्कतें तो आयी, किन्तु अब इसके अच्छे परिणाम भी सामने आने लगे हैं। राज्य में जिले के स्तर पर अब जिलों की योजनाओं को समय पर बनाने का काम किया जाने लगा है।

यूनीसेफ–मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग को संविधान की मंशा के अनुरूप जिले स्तर पर एकीकृत जिला योजनाओं को बनवाने के लिये किये जा रहे प्रयासों में तकनीकी सहयोग देने के लिये एक परियोजना चलाई जा रही है। परियोजना का उद्देश्य यह है कि पूरे राज्य में विकेन्द्रीकृत आयोजना के आधार पर एकीकृत जिला योजना बनाने के काम में लगे सभी हितधारकों को जिला योजना के महत्व और इसको बनाने के काम की पूरी जानकारी मिल सके।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यूनीसेफ–मध्यप्रदेश ने 'प्रिया, नई दिल्ली' के सहयोग से जिला योजना तैयार करने के काम से जुड़े विभिन्न हितधारकों के क्षमता विकास के लिये प्रशिक्षण मार्गदर्शिकाओं की एक श्रृखंला प्रकाशित की है।

मैं आशा करता हूँ कि सभी प्रशिक्षण मार्गदर्शिका अपने–अपने उद्देश्यों को पूरा करने के साथ ही मध्यप्रदेश में जिले स्तर पर एकीकृत जिला योजनाओं को बनवाने में सहायक होंगी।

मंगेश त्यागी

सलाहकार, योजना आयोग

विषय क्रम

क्रम	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	प्राक्कथन	2
2	प्रशिक्षकों हेतु कुछ खास बातें	6
3	मार्गदर्शिका के प्रयोग की विधि	7
4	जिला योजना निर्माण संबंध में जिला योजना समिति का क्षमतावर्धन कार्यक्रम की रूपरेखा	8
5	सत्र–संचालन विवरण	9
6	प्रशिक्षण हेतु संदर्भ सामग्री	20
7	विकेन्द्रिकृत नियोजन परिचय एवं अर्थ	21
8	विकेन्द्रीकृत नियोजन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान	29
9	मध्य प्रदेश में नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था	30
10	जिला नियोजन के लिए संसाधन मानचित्रण	35
11	आकड़ों का प्रबंधन एवं व्यवस्थापन	39
12	जिला योजना के लिये परिकल्पना	41
13	वित्तीय संसाधन मानचित्रण	43
14	योजना निर्माण में जिला योजना समिति की भूमिका	45
15	सहभागी नियोजन की तैयारी	49
16	जिला योजना समिति द्वारा समेकन की प्रक्रिया	59
17	समेकन के चरण	61
18	योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा	67
19	अनुलग्नक	71
20	जिला योजना निर्माण हेतु आंकड़ों के स्रोत	71
21	मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम	75
22	विकेन्द्रीकृत नियोजन वर्ष 2012–13 के संबंध में समय सारणी	82
23	संदर्भ सूची	83

प्रशिक्षकों हेतु कुछ खास बातें

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन एवं योजना निर्माण में ग्राम सभाओं की मुख्य भूमिका हैं। इसी प्रकार जिला योजना निर्माण के काम में स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों) के प्रत्येक स्तर पर जिला योजना समिति की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। विकेन्द्रीकृत व्यवस्था की यह सोच है कि जिला योजना निर्माण में जिला योजना समिति एक सहजकर्ता की तरह विभिन्न हितभागियों के साथ मिलकर योजना तैयार करने में सहयोग करेगी। जिला एवं ग्रामीण नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था के आधार पर वैसे तो शहरों एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर पर तकनीकी सहायता समूह/नियोजन दल होता है परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिला योजना समिति का होता हैं।

यह प्रशिक्षण मार्गदर्शिका नियोजन के प्रत्येक स्तर पर जिला योजना समिति के सदस्यों के लिये उपयोगी साबित होगी। मिश्रित समूह में प्रशिक्षण देने वाले किसी प्रशिक्षक से निम्नलिखित अपेक्षायें की जाती हैं –

- सभी प्रतिभागियों के ज्ञान कौशल एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सभी विषयों पर चर्चा करे।
- प्रशिक्षण में पारस्परिक सहभागिता का अनुसरण करे एवं सभी प्रतिभागियों को बोलने एवं अपने विचार रखने का अवसर दे।
- प्रत्येक समूह कार्य निधारित समय सीमा के भीतर ही संपन्न कराये।
- समूह कार्य के दैरान समूहों में दिये गये कार्यों का स्पष्ट करने में प्रतिभागियों की मदद करे।

मार्गदर्शिका के प्रयोग की विधि

इस प्रशिक्षण मार्गदर्शिका को मुख्य रूप से दो भागों में बॉटा गया है। पहले भाग में सत्र संचालन से संबंधित जानकारियों का संकलन दिया गया है। दूसरे भाग विभिन्न सत्रों से संबंधित विषय वस्तु को दिया गया है। में ये जानकारियाँ प्रशिक्षकों के साथ ही साथ अन्य लोगों के लिये संदर्भ सामग्री का कार्य करेगी। इससे प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न सत्रों को चलाने में सहायता भी मिलेगी।

प्रत्येक सत्र के निम्न भाग है एवं ये निम्नलिखित क्रम में हैं –

सत्र का शीर्षकः यह सत्र के मुख्य विषय की पहचान करवाता है। प्रशिक्षकों को सत्र के आरम्भ में प्रतिभागियों की सहजता के लिये यह शीर्षक श्याम पट्ट (ब्लैक बोर्ड) या फ्लिप चार्ट पर बडे अक्षरों में लिख देना चाहिये।

संभावित समयः यह सत्रों की अनुमानित अवधि बताता है। प्रशिक्षकों से यह आशा की जाती है कि वे प्रत्येक सत्र तथा गतिविधि/कार्य एक निश्चित समय सीमा के भीतर ही पूरा करें। प्रशिक्षक को यह प्रयत्न करना चाहिये कि सत्र का समापन दी गई अवधि में हो जाए। अधूरे सत्र की कोई उपयोगिता नहीं रहती।

उद्देश्यः यह भाग इस बात का विवरण देता है कि सत्र के अंत तक प्रतिभागियों में ज्ञान, कौशल, दृष्टि तथा आचरण में बदलाव को प्रदर्शित करने वाली कौन कौन सी विशेषतायें दिखायी देनी चाहिये। प्रशिक्षक को प्रत्येक सत्र आरम्भ करने से पूर्व इन उद्देश्यों को प्रतिभागियों के सामने प्रस्तुत करना चाहिये और अंत में यह पता लगाने के लिये कि उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं, एक बार फिर से चार्ट के आधार पर मूल्यांकन कर लेना चाहिये।

प्रणालीः यह सत्रों को सहभागिता द्वारा संचालित करने हेतु प्रशिक्षक द्वारा अपनाई गयी प्रणाली को रेखांकित करता हैं। इस प्रणालियों में लेक्चर एवं समूह चर्चा, केस स्टडीस एवं खुली चर्चा शामिल हैं।

जिला योजना निर्माण संबंध में जिला योजना समिति का क्षमतावर्धन कार्यक्रम की प्रस्तावित रूपरेखा

पहला दिन

अवधि	विषय वस्तु	प्रशिक्षण सामग्री	पद्धति
9.00 से 9.30	प्रशिक्षणार्थियों का पंजीकरण	पैड, पैन, फोल्डर, कार्यक्रम की रूपरेखा	नामांकन प्रपत्र के द्वारा
प्रथम सत्र 9.30 से 10.00	स्वागत, परिचय, कायक्रम का उद्देश्य, कार्यक्रम की रूपरेखा	एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, स्क्रीन, कम्प्यूटर, चार्ट पेपर, बोर्ड, मार्कर	व्याख्यान, पावर पाइंट
द्वितीय सत्र 10.00 से 11.30	विकेन्द्रीकृत नियोजन का अर्थ	दो रंग के पेपर शीट्स, चार्ट पेपर, मार्कर, पेन, टेप	समूह कार्य
11.30 से 11.45	विराम		
तृतीय सत्र 11.45 से 1.30	जिला नियोजन के लिए संसाधन मानचित्रण	चार्ट पेपर, मार्कर, पैन, टेप	समूह कार्य व प्रस्तुतिकरण
1.30 से 2.30	भोजनावकाश		
चतुर्थ सत्र 2.30 से 5.00	जिला नियोजन के लिए परिकल्पना	केस स्टडी, पेपर शीट्स, चार्ट पेपर, मार्कर, पैन, बोर्ड	समूह कार्य व प्रस्तुतिकरण

दूसरा दिन

अवधि	विषय वस्तु	प्रशिक्षण सामग्री	पद्धति
पंचम सत्र 9.00 से 1.30	योजना निर्माण के दौरान जिला योजना समिति की भूमिका	चार्ट पेपर, मार्कर, बोर्ड	परिचर्चा व्याख्यान
1.30 से 2.30	भोजनावकाश		
छठां सत्र 2.30 से 3.45	जिला योजना समिति द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा	केस स्टडी, पेपर शीट्स, चार्ट पेपर, मार्कर, पैन, बोर्ड	व्याख्यान, परिचर्चा
सातवां सत्र 4.00 से 5.00	कार्यक्रम पर प्रशिक्षणार्थियों का फीडबैक और धन्यवाद ज्ञापन	चार्ट पेपर, मार्कर, बोर्ड	फीडबैक प्रपत्र

सत्र–संचालन विवरण

पहला सत्र

विषयः स्वागत, परिचय, कार्यक्रम का उद्देश्य, कार्यक्रम की रूपरेखा।

अवधि – 1 घंटे।

सत्र का उद्देश्य

- आपसी परिचय से कार्यक्रम में उपस्थित संभागी व्यवस्थित हो सकेंगे।
- कार्यक्रम में उपस्थित सभी संभागी एक–दूसरे के साथ सौहाद्रपूर्ण वातावरण में विचार–विमर्श कर सकेंगे।
- कार्यक्रम के उद्देश्य व रूपरेखा की जानकारी मिल जाने से संभागी विभिन्न सत्रों में अपने विचार रखने के लिये तैयार हो सकेंगे।

प्रशिक्षण सामग्री – चार्ट पेपर, मार्कर।

सत्र संचालन की विधि – सत्र का संचालन प्रशिक्षक दल के सदस्यों द्वारा किया जायेगा। सत्र के आरम्भ में प्रशिक्षक दल द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी संभागियों का स्वागत किया जायेगा। संभागियों के स्वागत के बाद प्रशिक्षक दल के द्वारा संभागियों को अपना परिचय देने के लिये कहा जायेगा। इसके लिये संभागियों को दो–दो या तीन–तीन के समूहों में बॉटा जा सकता है। ये समूह किसी चित्र के बिखरे टुकडों को जोड़ कर, वर्ण माला के अक्षरों ('क' नाम के सभी लोगों का एक समूह), जन्म के महीनों (जनवरी माह में पैदा हुये लोगों का एक समूह) या दिवसों (किसी भी महिने में 1 से 5 तारीख के बीच पैदा हुये लोगों का एक समूह) इत्यादि के आधार पर बनाये जा सकते हैं। समूहों को आपस में चर्चा करके परिचय प्राप्त करने के लिये 10 से 15 मिनट का समय दिया जाना चाहिये।

संभागियों के द्वारा एक–दूसरे का परिचय प्राप्त कर लेने के बाद प्रशिक्षक दल के द्वारा उन्हें कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में बताया जायेगा। इसी समय प्रशिक्षक दल के सदस्य संभागियों को कार्यक्रम की प्रस्तावित रूपरेखा के बारे में भी बतायेंगे।

प्रशिक्षक के लिये विशेष बात

- परिचय के दौरान सभी सहभागियों को खुलने और बोलने के लिये प्रेरित करें। ध्यान रखें कि यदि कोई सहभागी संकोच कर रहा हो तो उस पर ज्यादा दबाव भी न डालें।

- कार्यक्रम की प्रस्तावित रूपरेखा और उसके उद्देश्यों को बताते समय लोगों को यह एहसास करायें की योजना निर्माण का काम क्यों बहुत जरूरी है और इसे करते समय किस प्रकार की जानकारियों का होना बहुत आवश्यक है।
- जानकारी देते समय भाषा शैली इस प्रकार कि हो कि सभी लोग इसे आसानी से समझ सकें।

दूसरा सत्र

विषयः विकेन्द्रीकृत नियोजन का अर्थ।

अवधि – 1 घंटे 30 मिनट।

सत्र का उद्देश्य –

- प्रशिक्षण में उपस्थित सभी लोगों की 'विकेन्द्रीकृत नियोजन का अर्थ जान सकेंगे।
- सभी सहभागी विकेन्द्रीकृत नियोजन के पहलुओं को जान सकेंगे।
- जिला योजना समिति की भूमिका और उससे संबंधित कानूनी प्रावधानों को जान सकेंगे।

प्रशिक्षण सामग्री – चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन।

सत्र संचालन की विधि – प्रशिक्षक दल के सदस्यों के द्वारा संभागियों में विषय के प्रति उत्सुकता को बढ़ाने के लिये उनसे स्थानीय स्तर पर बनने वाली योजना के संबंध में उनके विचार जानते हुये चर्चा की शुरूआत की जा सकती है (ब्रेनस्टार्मिंग पद्धति)। संभागियों के विचार जानने के बाद प्रशिक्षक के द्वारा योजना निर्माण की एक विस्तृत जानकारी जा सकती है।

इसके बाद प्रशिक्षक दल के सदस्यों के द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के बिन्दुओं और उनसे संबंधित सूचकांकों पर चर्चा की जानी चाहिये। इसी संदर्भ में यदि प्रशिक्षक दल के द्वारा संभागियों को राज्य के तय लक्ष्यों और वर्तमान स्थिति तथा जिले की वर्तमान स्थिति के ऑकडों की जानकारी पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दी जाय तो संभागियों में विषय के प्रति उत्सुकता और बढ़ेगी तथा उनके द्वारा ऑकड़ों को इकट्ठा करने और उस आधार पर विकास के विभिन्न पहलुओं को समझने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

प्रशिक्षक के लिये विशेष बात

- सत्र के बेहतर संचालन के लिये मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम को अच्छी तरह पढें और समझें। इस संबंध में उपलब्ध संसाधन किट और विभिन्न पुस्तकों का भी अध्ययन करना उपयोगी होगा।
- प्रशिक्षक के द्वारा जिला योजना समिति की सही भूमिका को लोगों को सामने रखने के संबंध में दिये गये संदर्भ वस्तु की प्रतिलिपि बॉटी जा सकती है।

- बेहतर होगा कि प्रशिक्षक सत्र के विभिन्न विषयों पर समय का ध्यान रखते हुए पहले से ही कुछ नोट्स तैयार कर लें।
- यदि कुछ लोग जिला योजना निर्माण से संबंधित कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहें हैं तो उनके लिये यह विषय जटिल हो सकता है। अतः प्रशिक्षक अपनी बातों को धैर्य के साथ सरल शब्दों में रखने का प्रयास करें।
- छोटे समूह में चर्चा को बेहतर तरीके से कराने के लिये प्रत्येक समूह में से ही कुछ व्यक्तियों को जिम्मेदारी सौंपने से लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

तीसरा सत्र

विषयः जिला नियोजन के लिए संसाधन मानचित्रण।

अवधि – 1 घंटा 45 मिनट ।

सत्र का उद्देश्य –

- संभागियों में जिला आयोजना के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानकारी मिल सकेगी।
- संभागियों में जिले और स्थानीय क्षेत्र से जुडे मजबूत ओर कमजोर पहलुओं के बारे में जानकारी बढ़ेगी।
- संभागियों में अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न अवसरों और चुनौतियों को पहचानने की समझ बढ़ेगी।

प्रशिक्षण सामग्री – चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन।

सत्र संचालन की विधि – इस सत्र में प्रशिक्षक दल/ संदर्भ व्यक्ति के द्वारा जिला स्तरीय आयोजना से जुड़े महत्वपूर्ण सूत्रों की जानकारी दी जायेगी। इन सूत्रों के आधार पर संभागियों में विकास से जुडे लक्ष्यों को पहचानने, उनका प्राथमिकीकरण करने, उनसे संबंधित संसाधनों को पहचानने, संसाधनों को एकत्र करने के लिये आवश्यक नेटवर्क तैयार करने जैसे विषयों पर क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा।

सत्र के दौरान प्रशिक्षक दल/ संदर्भ व्यक्ति के द्वारा ऐसे सकारात्मक और जमीनी उदाहरणों को भी संभागियों के साथ बॉटने का प्रयास किया जायेगा जिससे संभागियों में यह दृढ़ता लायी जा सके कि सही योजनाओं के निर्माण से सामाजिक समानता को बढ़ाया जा सकता है।

प्रशिक्षक के लिये विशेष बात

- एकीकृत जिला योजना और उसके निर्माण के संबंध में योजना आयोग, भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित मैनुअल को पढ़ कर उस पर समझ बनाना प्रशिक्षक के लिये बेहतर होगा। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश योजना आयोग के द्वारा प्रकाशित सहभागी विकेन्द्रहकृत नियोजन प्रक्रिया मैनुअल की जानकारी होना और बेहतर स्थिति होगी।
- चर्चा को सजीव बनाने के लिये विभिन्न प्रकार के हितभागी समूह बनाये जा सकते हैं और उनकी आपसी चर्चा के आधार पर विकास के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करायी जा सकती है।

- स्वाट विश्लेषण के लिये सहभागियों को स्थानीय स्थिति के आधार पर चर्चा करने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये।
- संदर्भ सामग्री में दिये गये विषय वस्तु का अध्ययन कर उससे संबंधित नोट्स तैयार कर लेने से प्रशिक्षकों को आसानी होगी।

चौथा सत्र

विषयः जिला नियोजन के लिए परिकल्पना।

अवधि – 2 घंटा 30 मिनट।

सत्र का उद्देश्य –

- संभागियों में जिला आयोजना के निर्माण के संबंध में सामूहिक विकासात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होगी।

प्रशिक्षण सामग्री – चार्ट पेपर, मार्कर, एल.सी.डी. और स्क्रीन।

सत्र संचालन की विधि – इस सत्र में प्रशिक्षक दल/संदर्भ व्यक्ति के द्वारा जिला नियोजन के लिये आवश्यक विजन दस्तावेज पर चर्चा की जायेगी। जिले के विजन को राज्य के विजन के साथ जोड़ कर स्थानीय स्तर पर किये जाने वाले विकास कामों को पहचानने और उनकी प्राथमिकताओं को तय करने के संबंध में प्रशिक्षकों के द्वारा जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

स्थानीय स्तर पर विकास के कामों की आवश्यकताओं को पहचानने और उनके प्राथमिकीकरण के लिये लोगों को समूहों में बॉट कर चर्चा करायी जा सकती है। समूह चर्चा के बाद समूह के सदस्यों से समूह चर्चा के प्रमुख बिन्दुओं को सभी के सामने रखने को कहा जाय।

सभी समूहों के द्वारा प्रस्तुतिकरण कर लिये जाने के बाद एक खुली चर्चा करायी जा सकती है ताकि संभागी अन्य प्रस्तुतियों पर भी अपने विचार रख सकें। चर्चा पूरी होने के बाद प्रशिक्षक दल/संदर्भ व्यक्ति के द्वारा डीब्रिफिंग के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर एक बार पुनः संभागियों का ध्यान आकृष्ट किया जाय जिससे उनकी समझ बेहतर बन सके।

प्रशिक्षक के लिये विशेष बात

- विभिन्न प्रकार के संसाधनों के संबंध में जानकारियॉ इकट्ठी कर उन्हें संभागियों को उपलबध करायें।
- बजट बनाने के संबंध में यदि कोई बेहतर उदाहरण हो तो उनको पोस्टर, फिल्म इत्यादि के माध्यम से दिखाया जा सकता है।

पॉचवां सत्र

विषयः योजना निर्माण के दौरान जिला योजना समिति की भूमिका।

अवधि – 4 घंटे 30 मिनट।

सत्र का उद्देश्य –

- लोगों में जिला योजना समिति की भूमिका को स्पष्ट करना।
- जिला योजना समिति के द्वारा योजना निर्माण के दौरान समेकन की प्रक्रिया के प्रति समझ बढ़ाना।

प्रशिक्षण सामग्री – फीड बैक फार्म, चार्ट पेपर, मार्कर।

सत्र संचालन की विधि – सत्र के दौरान प्रशिक्षक दल के द्वारा जिला योजना समिति के द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की संस्थाओं के द्वारा बनायी जाने वाली योजनाओं में दिये जाने वाले सहयोग की जानकारी दी जानी चाहिये। इसी के साथ उन्हें इस बात की जानकारी भी दी जानी चाहिये ककि योजनाओं को तैयार करने के संबंध में राज्य का कैलेण्डर किस प्रकार से तय किया गया है।

सत्र के दौरान ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बनने वाली योजनाओं के कुछ साझा बिन्दुओं के आधार पर तैयार की जा सकने वाली योजनाओं के संदर्भ में भी चर्चा की जानी चाहिये।

प्रशिक्षक के लिये विशेष बात

- मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियम में जिला योजना समितियों की भूमिका के बारे में गहन जानकारी प्राप्त कर उसे वास्तविकताओं से जोड़कर चर्चा कराने से लोगों को एक तुलनात्मक जानकारी मिल सकेगी।
- संदर्भ सामग्री में दिये गये विषय वस्तु का अध्ययन कर उससे संबंधित नोट्स तैयार कर लेने से प्रशिक्षकों को आसानी होगी।

छठां सत्र

विषयः जिला योजना समिति द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा।

अवधि – 1 घंटा 15 मिनट।

सत्र का उद्देश्य –

प्रशिक्षण सामग्री – फीड बैक फार्म, चार्ट पेपर, मार्कर।

सत्र संचालन की विधि – सत्र के दौरान प्रशिक्षक दल के मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के आधार पर जिला योजना समितियों की योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान उनकी भूमिका पर चर्चा की जानी चाहिये।

प्रशिक्षकों के द्वारा जिला योजना समिति के सदस्यों के द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान निगरानी एवं समीक्षा करने के विभिन्न उपकरणों की जानकारी भी सहभागियों को दी जानी चाहिये।

प्रशिक्षक के लिये विशेष बात

- मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियम में जिला योजना समितियों की भूमिका के बारे में गहन जानकारी प्राप्त कर समिति के सदस्यों की योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान निगरानी एवं समीक्षा करने संबंधी जिम्मेदारियों की चर्चा करें।
- आस–पास के जिलों या राज्यों में जिला योजना समिति के सदस्यों के द्वारा किये गये कुछ बेहतर कामों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें सहभागियों के साथ बांटें।
- संदर्भ सामग्री में दिये गये विषय वस्तु का अध्ययन कर उससे संबंधित नोट्स तैयार कर लेने से प्रशिक्षकों को आसानी होगी।

सातवां सत्र

विषयः कार्यक्रम पर प्रशिक्षणार्थियों का फीडबैक।

अवधि – 1 घंटा।

सत्र का उद्देश्य –

- कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से उनके भविष्य की कार्य योजना तैयार करवाना।
- कार्यक्रम के दौरान आयोजित विभिन्न सत्रों में चर्चा के विषयों पर संभागियों की राय जानना।
- इस बात की जानकारी मिलेगी कि संभागियों को प्रशिक्षण की कौन सी पद्धति ज्यादा बेहतर लगी।

प्रशिक्षण सामग्री – फीड बैक फार्म, चार्ट पेपर, मार्कर।

सत्र संचालन की विधि – सत्र के दौरान प्रशिक्षक दल के द्वारा दो दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर संभागियों के विचारों को जानने का प्रयास किया जायेगा। इसके लिये पहले से तैयार फीड बैक प्रपत्र का प्रयोग किया जा सकता है। फीड बैक प्रपत्र भरने के लिये संभागियों को 10–15 मिनट का समय दिया जाना चाहिये।

फीड बैक प्रपत्र न होने की स्थिति में मूडो–मीटर का उपयोग भी किया जा सकता है और प्रत्येक संभागी से विभिन्न सत्रों के दौरान उसके विचारों को मूडो–मीटर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रशिक्षक के लिये विशेष बात

- भविष्य की कार्य योजना को बनाने के दौरान सहभागियों को क्षेत्रवार समूह में बैठा कर कार्य योजना तैयार कराना बेहतर होगा। इससे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर उनके द्वारा वास्तविक योजना तैयार की जा सकेगी। पुनः आने वाले समय में आस–पास के होने के कारण उनके द्वारा संबंधित विषय पर निरन्तर बात–चीत जारी रह सकेगी।

प्रशिक्षण हेतु संदर्भ सामग्री

परिचय

भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों में स्थानीय स्तर पर विकास की आवश्यकताओं के अनुसार योजना निर्माण की परिकल्पना की गयी है। इसके लिये ग्रामीण क्षेत्रों में जिला, मध्यवर्ती एवं ग्राम स्तर पर पंचायतों (त्री–स्तरीय) और शहरी क्षेत्रों में नगर महापालिका, नगरपालिका परिषद्/ मण्डल और नगर पंचायत का गठन किया गया है। जिले स्तर पर विकेन्द्रीकृत योजना का समेकन किया जा सके इसके लिये जिला योजना के निर्माण की बात भी संविधान में की गयी है। 74वें संविधान संशोधन में पंचायतों और नगरीय निकायों की योजनाओं को जिला योजना के प्रारूप में समेकित करने के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं।

पंचायती राज मंत्रालय एवं योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान की धारा 243 ि के तत्वावधान में यह अनुशंसा की गई है कि सभी राज्य सरकारें, जिला योजना समितियों के गठन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें ताकि जिला योजना को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के लिए राज्यों की योजना का अभिन्न अंग बनाया जा सके।

वर्ष 2005 में ग्यारह्वी पंचवर्षीय योजना की तैयारी के दौरान पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री. वी. रामचंद्रन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। इस समूह का उद्देश्य जमीनी स्तर पर नागरिकों की अतिआवश्यक न्यूनतम जरूरतों कों पूरा करने के लिये सभी पंचायत स्तरों पर जिला और उप जिला योजनाओं को तैयार करने के संबंध में अध्ययन कर सिफारिशें प्रदान करना था। इस समूह के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा 25 अगस्त 2006 को परिपत्र (circular) के माध्यम से ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में जिला योजनाओं के संबध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये।

ग्यारहवीं योजना में बल देकर कहा गया है कि हमारी विकास प्रक्रिया की बेहतरी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आवश्यक जन सेवाओं की प्रदायगी के आयोजना, कियान्वयन और पर्यवेक्षण में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को पूरी तरह से शामिल किया जाय। योजना में इस बात पर भी बल दिया गया है कि हर जिले को एक जिला विकास योजना तैयार करनी होगी जिसमें उसके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं को समेकित किया जाएगा और साथ ही शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभिन्न योजनाओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्रकों के लिये आवंटन भी शामिल होंगे।

विकेन्द्रिकृत नियोजन का अर्थ/आशय

विकेन्द्रिकृत नियोजन का सीधी–सरल भाषा में अर्थ है 'लोगों के द्वारा अपने विकास के लिये बनाई गयी योजना'। सामान्य रूप से पाया जाता है कि योजनाओं को बनाने का अधिकार कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होता है। ये लोग कुछ विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। किन्तु जमीनी अनुभवों के अभाव और व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर इन लोगों के द्वारा बनायी गयी योजनाओं को भारत जैसे विशाल देश में एक समान लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिये विगत वर्षों में बनायी गयी बहुत सी योजनाओं का वह परिणाम हासिल नहीं किया जा सका जैसा योजना बनाने वालों ने सोचा था। विकेन्द्रीकृत नियोजन की सोच यह है कि योजनाओं को बनाने के अधिकार को कुछ मुट्ठी भर लोगों, केंद्रीय संस्थाओं और अफसरशाही के हाथों में न रखा जाय बल्कि इसे उन आम लोगों, प्रतिनिधियों और संस्थाओं के सुपुर्द किया जाए जिनके हित के लिए योजनाएं बनाई जाती है।

सही मायने में जन–विकास के लिए ज़रूरी है कि जनता अपने फैसले खुद करे, अपने विकास का रास्ता खुद चुने और अपनी सुविधा, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार योजनायें बना सके। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि केन्द्र और राज्य सरकारें योजनाओं को बनाने का कार्य ही न करें। योजनाओं की शुरूआत या आरम्भ बिंदु जमीनी स्तर (बॉटम–अप एप्रोच) पर होना चाहिए। इसके अर्न्तगत योजनायें ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा स्तर एवं शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला/वार्ड समिति स्तर पर तैयार की जायें। इन योजनाओं में कार्य का चयन स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से किया जाये एवं ऊपर के स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर समेकन किया जाए। ऊपरी स्तर के निकाय अपने स्तर से संचालित होने वाले कार्यक्रमों को इन योजनाओं में समायोजित करें।

विकेन्द्रीकृत नियोजन के माध्यम से एक ऐसी योजना का निर्माण होना चाहिये जिसमें समाज के सभी वर्गों, विशेष तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों, विकलांग और बेसहारा लोगों के हितों को सुनिश्चित किया जा सके एवं उपलब्ध संसाधनों का उचित एवं प्रभावशाली तरीके से दोहन किया जा सके। हमारे अधिकांश योजनाकार और नीति निर्माता आज इसी नजरिये को देश के दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक मान रहे हैं।

विकेन्द्रीकृत नियोजन के पहलू

विकेन्द्रीकृत नियोजन के चार प्रमुख पहलू हैं –

1. जनसहभागिता

विकेंद्रीकृत नियोजन का मूल अर्थ है जनता से अपने विकास की योजनायें बनवा कर उनका क्रियान्वयन करना। अतः जनसहभागिता का तत्व उसमें स्वयं आ जाता है। योजनाओं के तकनीकी पहलुओं को भले ही विशेषज्ञ तैयार करें, पर विकास कैसा होना चाहिए, किसके लाभ के लिए होना चाहिए और किस दिशा में होना चाहिए इसका फैसला जनता करे, यही जनसहभागिता है। इसके अलावा योजनाओं के क्रियान्वयन मे भी जन–सहभागिता उतनी ही ज़रूरी है।

2. जवाबदेही

योजनायें जब ऊपर से बना कर थोपी जाती है तो योजनाओं की विफलता, सफलता, देरी आदि

की जवाबदेही तय करना कठिन हो जाता है। इसका कारण यह है कि प्रशासन तंत्र के इतने स्तर होते हैं कि कहाँ क्या गलत हुआ, किसने क्या फैसला लिया, या किसके कारण योजना प्रभावी न हो पाई – यह पता लगाना कठिन हो जाता है। विकेन्द्रीकृत नियोजन में योजना सूत्रीकरण और कियान्वयन के स्तर कम होते हैं। अतः जवाबदेही तय करना सरल होता है। ग्राम स्तर पर बनाई गई योजनाओं में तो स्पष्ट रूप से यह पहचान की जा सकती है कि किसकी क्या जवाबदेही है।

3. पारदर्शिता

लघु स्तरीय योजनायें बड़े स्तर की योजनाओं की तुलना में अधिक पारदर्शी होती है। ग्राम स्तर का ही उदाहरण लीजिए– ग्राम सभा अगर कोई योजना बनाती है और ग्राम पंचायत के माध्यम से उसका क्रियान्वयन होता है, तो सभी का यह मालूम रहता है कि परियोजना पर कितनी लागत आई है, परियोजना कितनी पूरी हुई है अभी और क्या करना बाकी है आदि।

4. प्रभावकारिता

विकेन्द्रीकृत नियोजन किसी भी परियोजना की प्रभावकारिता को बढ़ाता है। इसका कारण यह है कि योजना लघु स्तर की होती है तथा उसमें सभी की भागीदारी होती है इसके साथ ही लोगों के हित सीधे–सीधे उसके साथ जुड़े होते हैं। विकेन्द्रीकृत आयोजना में स्थानीय स्तर पर ही लोग योजनायें बनाते हैं एवं स्वयं या अन्य संस्थाओं के माध्यम से उनका क्रियान्वयन करते हैं अतः जन–प्रयास और जन–उत्साह इन योजनाओं की प्रभावकारिता में वृद्धि करता है।

जिला योजना समिति

भारतीय संविधान की धारा 243 य घ (243 ZD) के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के विकास के लिये एक योजना प्रारूप तैयार करने के लिये जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा।

प्रत्येक जिला योजना समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करते समय यह ध्यान रखेगी कि योजना में पंचायतों और नगरपालिकाओं के सामान्य हित के विषय, जिनके अंर्तगत स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण, उपलब्ध वित्तीय और अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार शामिल हों। जिला योजना समिति ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा निर्देशित करे।

प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष, वह विकास योजना, जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य सरकार को भेजेगा।

योजना निर्माण में जिला योजना समिति की भूमिका

योजना निर्माण के चरण	मध्य प्रदेश जिला समिति अधिनियम (1995) के अनुसार जिला योजना समिति की भूमिका	क्या एवं कैसे करें?
संसाधन मानचित्रण एवं व्यवस्थापन (Resource Mapping and Systematization)	अधिनियम की धारा 7(2) के अनुसार समिति योजनाओं को विकेन्द्रीकृत करने के लिए ठोस आंकड़ों का आधार तैयार करने के लिये जिले के प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करेगी। इसके लिये समिति जिले एवं खण्ड के संसाधनों की रूपरेखा भी तैयार करेगी। धारा 7(3) के अनुसार जिला योजना समिति ग्राम, खण्ड तथा जिला स्तर पर उपलब्ध सुख–सुविधाओं को सूचिबद्ध करने एवं उनका उपयोग तय करने का कार्य करेगी।	जिला स्तर एवं उसके नीचे के स्तरों जैसे विकास खण्ड, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित आंकडों की जानकारी एकत्रित करें। यह जानकारी विभिन्न क्षेत्रकों जैसे प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या आधारित, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDGs) के रुप में हो सकती है। एकत्रित की गई जानकारी का मानचित्रण एवं विश्लेषण करते हुए जिले का SWOT तैयार करें । यह प्रक्रिया हमें इस बात की जानकारी देगी कि हमारे जिले में विभिन्न क्षेत्रकों की क्या स्थिति है और हमारी ताकत क्या है? यह हमे अवसरों को पहचानने एवं कमजोरियों और चुनौतियों का सामना करने के लिये मार्गदर्शन भी करेगी। विभिन्न आंकड़ों की जानकारी अनुलग्नक–2 में दी गई संदर्भ सामग्री से प्राप्त की जा सकती है।
परिकल्पना (Envisioning)	अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार समिति को राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय उद्देश्यों का निर्धारण करना होगा। अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार समिति को उपलब्ध प्राकृतिक/मानव संसाधनों के अधिकतम तथा न्याय सम्मत उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं को तय करना होंगा।	संसाधन मानचित्रण एवं जिले का ैव्ज तैयार करने के पश्चात विभिन्न क्षेत्रकों में विकास की स्थिति एवं संसाधनों की उपलब्धता (वित्तीय संसाधनो को छोड़कर) के आधार पर अगले 10–15 वर्ष के लिए प्राथमिकताऐं तय करें। इसके लिए जिला योजना समिति द्वारा एक परिकल्पना समिति (Envisioning Committee) का गठन किया जा सकता है। यह समिति विभिन्न हितभागियों से विचार–विमर्श करने के पश्चात परिकल्पना निर्माण का कार्य करेगी। प्रारंभ में परिकल्पना जिला स्तर पर करें। जिले के स्तरों पर समझ विकसित होने के पश्चात इसे मध्यवर्ती पंचायत और शहरी एवं पंचायत स्तर तक ले

		जाऐं। परिकल्पना की प्रक्रिया के दौरान विकास के प्रमुख एवं संभावित क्षेत्रों की पहचान करें जो जिले के विकास में ज्यादा योगदान दे सकते हैं। किन्तु इस बात पर भी ध्यान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं कि बुनियादी सेवाओं (जैसे पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा) एवं सुविधाओं के निरंतर विकास की दिशा तय हो। परिकल्पना दस्तावेज तैयार करने के पश्चात इसे विभिन्न माध्यमों द्वारा विभिन्न हितभागियों एवं स्थानिक सरकारों को उपलब्ध करवायें। इसका प्रचार–प्रसार ही योजना निर्माण के कार्य को सही दिशा प्रदान करेगा।
वित्तीय संसाधन मानचित्रण (Financial Resource Mapping)	अधिनियम, की धारा 7(7) के अंतर्गत जिला योजना समिति का यह दायित्व बनता है कि वे जिले की योजना के वित्वपोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का प्राक्कलन करे। धारा 7(8) के अनुसार जिला योजना समिति को जिला विकास योजना के सम्पूर्ण ढांचे के भीतर रहते हुये क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय परिव्ययों का आबंटन करना होगा।	जिले की ओर आने वाले वित्तीय संसाधनों की पहचान करें। यह क्रमशः पांच श्रेणियों में आते हैः • केन्द्रीय सरकार की निधियॉ – केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों, केन्द्रीय वित आयोग अनुदान, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ACA) के रुप में । • राज्य सरकार की निधियॉ – केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों में राज्यांश, राज्य वित आयोग अनुदान एवं राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों के रुप में। • स्थानीय सरकार का अपना राजस्व – करों, बिक्री, किराए एवं अनुदान आदि के रुप में। • बैंक ऋण – जिले में कार्यरत बैंकों द्वारा उपलब्ध अनुदान एवं ऋणों के रुप में। • निजि क्षेत्र की निधियॉ – जिले में कार्यरत निजि क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों के रुप में तथा निजि क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक सेवा आदि के कार्यक्रमों के रुप में। इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य बजट दस्तावेज, केन्द्रीय सरकार के बजट दस्तावेज, जिला पर चलाई जा रही स्कीमों एवं

		योजनाओं के दस्तावेज, केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग के दस्तावेज़ तथा विभिन्न निजि उद्यमों के दस्तावेजों आदि को देखा जा सकता हैं। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के मानचित्रण के पश्चात जिला योजना समिति को प्रत्येक नियोजन ईकाई को इन्हें सूचित करना चाहिए। यदि संभव हो तो जिला योजना समिति उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का पृथक्करण करते हुए नियोजन ईकाईयों को सूचित करें।
योजना निर्माण (Planning)	अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार जिले के लिए रोजगार योजना तैयार करना। धारा 7(11) के अनुसार ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों का अभिनिर्धारण करना जिनमें संस्थागत वित्तपोषण किया जाना आपेक्षित है, उन्हें जिला योजनाओं के साथ समुचित रूप से सम्बद्ध करने के उपाय करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उन्हें ऐसा वित्तीय विनिधान अपेक्षित मात्रा में प्राप्त होता रहे। अधिनियम 1995 की धारा 7(12) के अनुसार समिति विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता को सुनिश्चित कर सकती हैं।	मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 की धारा 9 की उपधारा 1 एवं 2 के अंतर्गत जिला योजना समिति सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए उप–समितियों का गठन कर सकती है। स्थाई उप–समितियॉ, रोजगार उप–समिति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग तथा अन्य कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए उपसमितियों के रुप में गठित की जा सकती हैं। समिति द्वारा निम्नलिखित 6 क्षत्रकों के लिए अस्थाई उपसमितियों का गठन करना चाहिये : i) शिक्षा ii) स्वास्थ्य एवं पोषण iii) आजीविका iv) अधोसंरचना प्रबंधन v) उर्जा, ईंधन तथा वैकल्पिक उर्जा vi) नागरिक अधिकार संरक्षण इसके अतिरिक्त योजना निर्माण का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जिला, ब्लाक, पंचायत एवं नगरीय स्तर पर नियोजन दलों का गठन किया जाना चाहिए। इन दलों गठन के पश्चात इनका आमुखिकरण करें। इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों की सहायता ली जा सकती है।
योजनाओं का समेकन (Consolidation)	अधिनियम की धारा 7(5) के अनुसार पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करते हुए	पंचायतों एवं नगरपालिकों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करते हुए जिले की योजना का प्रारुप तैयार करने की महत्वपूर्ण

	जिले के सामाजिक–आर्थिक, भौतिक, सामयिक तथा स्थान संबंधी आयातों के परिप्रेक्ष्य में जिले की पंचवर्षीय और वार्षिक विकास योजना का प्रारूप तैयार करना तथा उसे राज्य की योजना में सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।	जिम्मेदारी जिला योजना समिति को सौंपी गई हैं। समेकन की प्रक्रिया को सुचारु रुप से चलाने के लिए समेकन समिति अथवा क्षेत्र वार समेकन समितियों का गठन किया जाना चाहिए। समेकन को प्रारंभ में समेकन हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए। समेकन स्थानिक, क्षेत्रीय, क्षेत्रक, ऊर्ध्वाधर एवं संसाधनों के रुप में किया जा सकता है। समेकन पश्चात यह अत्यंत आवश्यक है कि योजना के प्रारुप को पंचायतों एवं नगरपालिकों के बीच प्रसारित किया जाए।
योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा (Monitoring and Evaluation)	अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 9 के अनुसार समिति का विकेन्द्रीकृत योजना के ढांचे के अंतर्गत जिले में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों जिनमें केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्कीमों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम भी सम्मिलित हैं की प्रगति को मानीटर करना, उनका मूल्यांकन करना तथा पुनर्विलोकन करने का कृत्य प्रदान किया गया हैं। धारा 7 की उपधारा 10 के अनुसार समिति जिला योजनाओं में सम्मिलित स्कीमों के संबंध में नियमित प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। धारा 7 की उपधारा 13 के अनुसार समिति जिले के विकास की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली राज्य सेक्टर की स्कीमों के संबन्ध में राज्य सरकार को सुझाव दे सकती हैं।	योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान उनकी निगरानी का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है और पूरी योजना निर्माण प्रक्रिया की सफलता इसी पर निर्भर करती हैं। जिला योजना समिति द्वारा विभिन्न स्तरों पर स्थानीय सरकारों के साथ बेहतर तालमेल द्वारा योजनाओं की निगरानी का कार्य संभव हैं। यहॉ पर यह सुनिश्चित करना आवश्यक हैं कि पंचायत राज एवं नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय निकायों को योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा के जो कृत्य सौंपे गए हैं उन्हीं कृत्यों को ध्यान में रखते हुए जिला योजना समिति कार्य करे। किन्तु जिला योजना समिति को ग्राम, वार्ड तथा क्षेत्रीय सभाओं के साथ बैठकें आयोजित करते हुए कार्यों की समीक्षा नियमित रुप से करनी चाहिए। इस कार्य के लिए उप समितियों का गठन भी किया जा सकता हैं। अथवा समेकन हेतु गठित उप समितियों का सहयोग इस कार्य में लिया जा सकता हैं।

विकेन्द्रीकृत नियोजन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

संविधान (73वें संविधान संशोधन अधिनियम) के अनुच्छेद 243(छ) में उल्लेख है कि राज्य की विधायिका पंचायतों को कानून के द्वारा ऐसी आवश्यक शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकती है जिससे वे स्वशासन की संस्थाओं के रूप में निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में कार्य करने हेतु सक्षम हो सकें –

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना।
- उन्हें सौंपे गए कार्यों और 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों से सम्बन्धित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

इसी प्रकार संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243(ब) में नगरपालिकाओं आदि को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किऐ गऐ हैं :

- आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाऐं तैयार करना।
- ऐसे कृत्यों का पालन करना जो उन्हें सौंपे जाएं एवं 12वीं अनुसूची में वर्णित विषयों से संबंधित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना।

संविधान की धारा/अनुच्छेद 243 य घ में उल्लेख है कि प्रत्येक जिले में जिला आयोजन समिति का गठन जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार किए गए नियोजन को संचित करके पूरे जिले हेतु विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 9 के विभिन्न प्रावधानों में इसका प्रसंगाधीन समावेश किया गया है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को वर्णित किया गया है। उदाहरण के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के विकास नियोजन का उद्देश्य उस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्रोन्नत करने के लिए होना चाहिए जिसमें सभी नागरिकों के प्राथमिक क्षमताओं को बढ़ाने और उनके लिए व्यापक सामाजिक अवसर सुनिश्चित करना, किया गया है।

मध्य प्रदेश में नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था

मध्य प्रदेश में विकेन्द्रीकृत नियोजन की व्यवस्था को साकार करने के उद्देश्य से राजय सरकार के द्वारा राज्य के स्तर पर एक संरचना तैयार की गयी है। इस संरचना में राज्य योजना आयोग के सहयोग से जिला योजनाओं को विकेन्द्रीकृत पद्धति से तैयार करने का कार्य किया जाना है। राज्य में नियोजन की वर्तमान व्यवस्था को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है।

मध्य प्रदेश में नियोजन की वर्तमान व्यवस्था

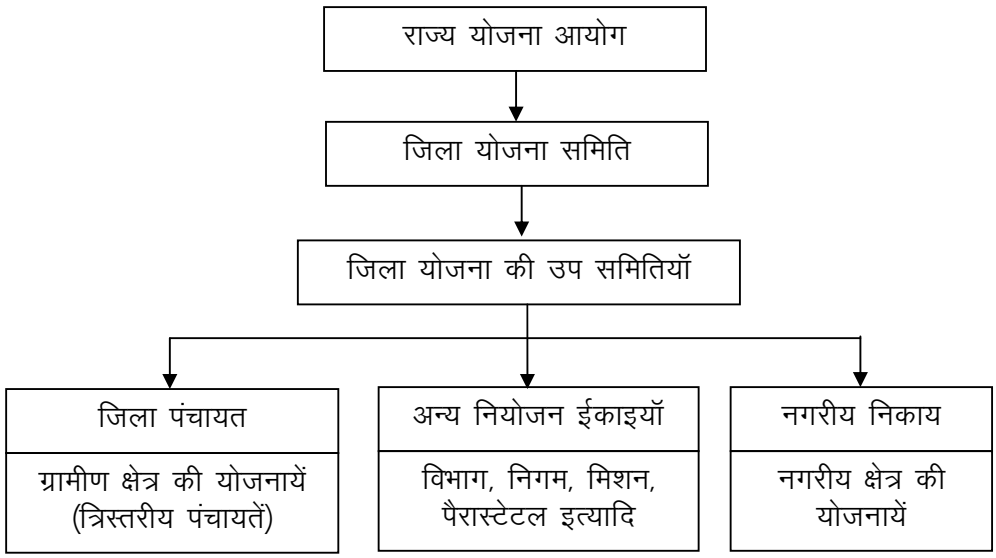

राज्य सरकार के द्वारा संविधान की मंशा के अनुसार जिले स्तर पर जिला योजना समिति को शीर्ष ईकाई के रूप में मान्यता दी है। जिला योजना समिति ही ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की योजनाओं को समेकित कर जिला योजना तैयार करेगी। ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं को तैयार करवाने की जिम्मेदारी जिला पंचायत की होगी। यहॉ महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी सभी नियोजन ईकाइयॉ जो सीधे जिला पंचायत के प्रति जवाबदेह नहीं हैं (विभाग, निगम, मिशन, पैरास्टेटल इत्यादि) उनके द्वारा भी अपनी योजनाओं को तैयार कर जिला योजना समिति को दिया जाना है।

ग्रामीण विकास से जुड़े निगम, मिशन, पैरास्टेटल इत्यादि	शहरी विकास से जुड़े निगम, मिशन, पैरास्टेटल इत्यादि
सर्व शिक्षा अभियान	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)
राजीव गॉधी जल ग्रहण मिशन	मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वस्थ्य मिशन	ग्राम एवं नगर निवेश संगठन
राजीव गॉधी कम्प्युटर साक्षरता मिशन	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
राष्ट्रीय बागवानी मिशन	शहरी विकास प्राधिकरण
इस प्रकार के अन्य अभियान	इस प्रकार के अन्य संस्थान

जिला योजना समिति की प्रमुख भूमिका

मध्य प्रदेश के संदर्भ में जिला योजना समितियों की भूमिका को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है–

- जिला योजना निर्माण में नेतृत्व की भूमिका अदा करना।
- जिले की स्थानीय अपेक्षाओं, प्राथमिकताओं का विश्लेषण कर समावेशित एवं सहभागी विजन निर्माण में मुख्य भूमिका निभाना।
- स्थानीय निकायों, संबंधित विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य हितभागियों के साथ चर्चा कर जिले के विकास की प्राथमिकताओं को तय करना।
- स्थानीय स्तर पर तैयार की गयी योजनाओं के दोहराव को रोकना।
- जिले स्तर पर योजनाओं के समेकन के समय स्थानीय निकायों एवं विकास से जुड़ी विभागों की योजनाओं के आधार पर यह सुनिश्चित करना कि उनसे जिले के विजन को हासिल किया जा सके।
- जिले के विकास की योजना को समय सीमा मे तैयार करवाने में सहयोग देना।
- स्थानीय स्तर पर विकास की योजनाओं का निर्माण करने के संबंध में स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का क्षमता विकास करवाना।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण नियोजन की व्यवस्था

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन एवं योजना निर्माण में ग्राम सभाओं की मुख्य भूमिका है। ग्राम सभाओं के द्वारा स्थानीय स्तर पर तैयार की गयी योजनाओं के साथ ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों के समेकन से जिला पंचायत के द्वारा जिला पंचायत जिल की योजना को तैयार करेगी। इस योजना को जिले के ग्रामीण विकास की योजना भी कहते हैं।

जिला पंचायत के स्तर पर बनने वाली योजना की प्रक्रिया को निम्न चित्र के आधार पर समझा जा सकता है–

मध्य प्रदेश में ग्रामीण नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था

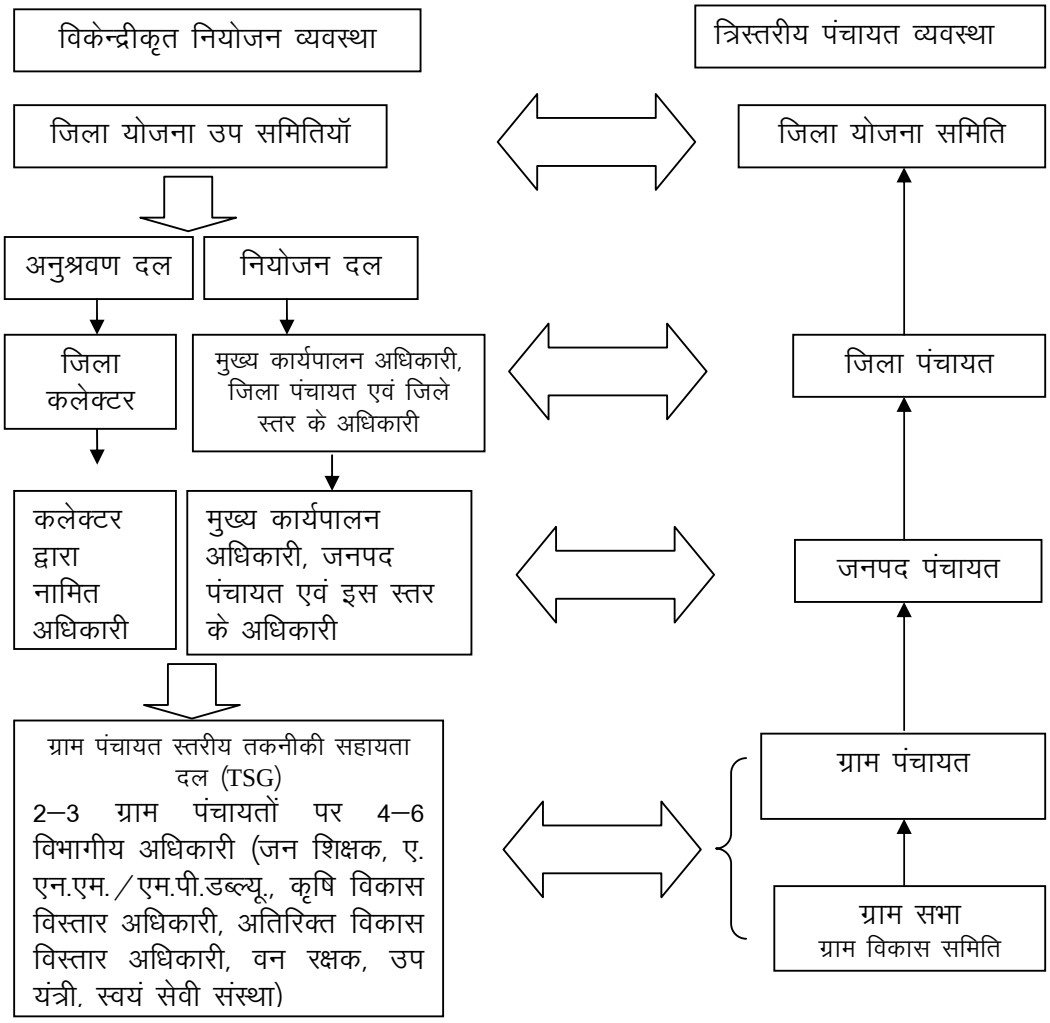

मध्य प्रदेश में शहरी नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था

74वें संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय नगरीय निकाय अपने आप में एक स्ववंत्र ईकाई है। किसी भी जिले की विभिन्न नगरीय निकायों की योजनाओं को समेकित करने की जिम्मेदारी जिला योजना समिति की होगी। नगरीय निकायों के संदर्भ में राज्य में नगर नियोजन की संरचना वार्ड के स्तर तक तय की गयी है। नगर निगमों में एह संरचना क्षेत्र सभा/ मुहल्ला सभा समिति तक होगी।

मध्य प्रदेश में शहरी नियोजन की संरचनात्मक व्यवस्था

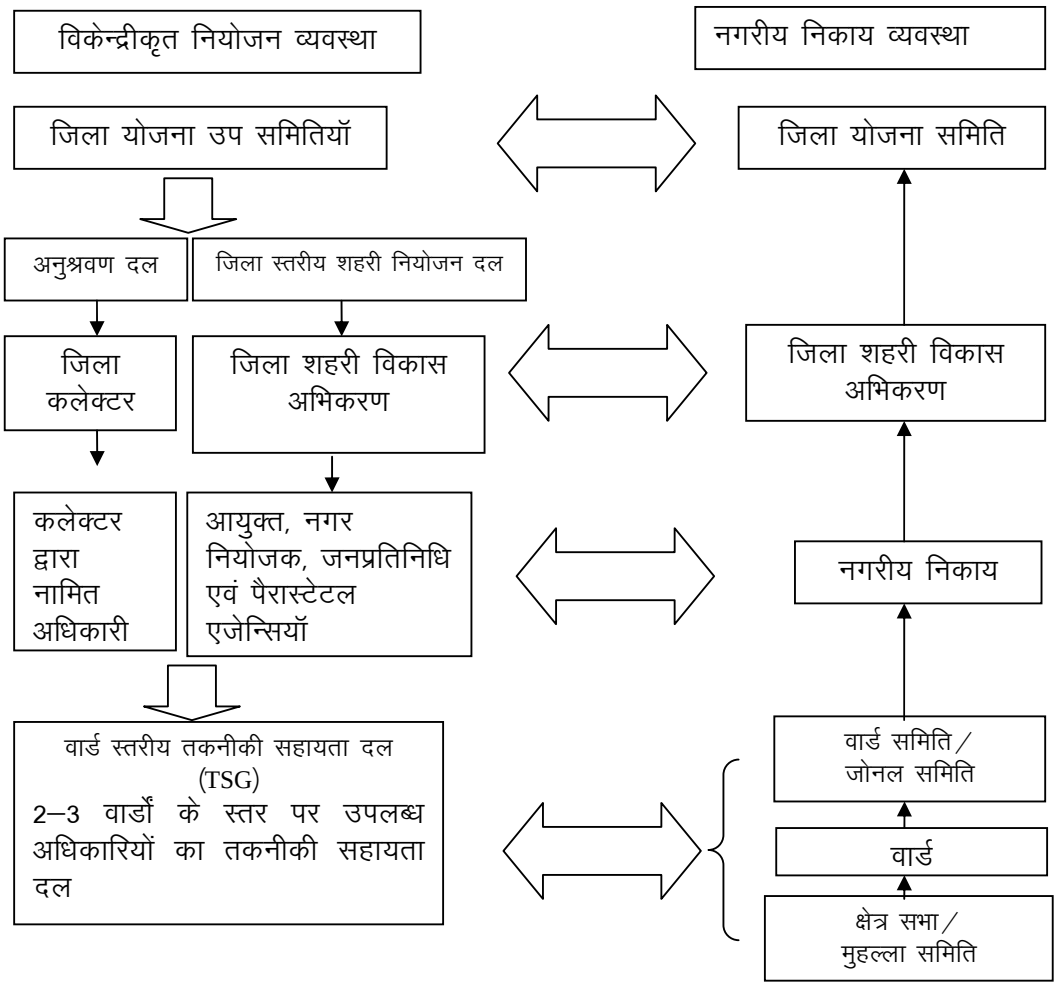

गतिविधि–1

उद्देष्यः प्रतिभागियों में गैर–विकेन्द्रीकृत और विकेन्द्रीकृत नियोजन के अंतर के संम्बंध में समझ विकसित करना एवं विकेन्द्रीकृत नियोजन के महत्व को समझने में सहायता करना।

समय	सामग्री	लक्ष्य
30 मिनट	दो अलग–अलग रंग की पेपर शीट, फ्लिप चार्ट, कलम, अलग–अलग रंग के मार्कर, सफेद बोर्ड (वैकल्पिक) सेल्फ ऐड्हीसीव टेप	सत्र के अंत में प्रतिभागी विकेन्द्रीकृत नियोजन के महत्व को समझने में सक्षम होगे

प्रक्रिया

प्रत्येक प्रतिभागी को कागज़ की दो शीट (अलग–अलग रंग) के उपलब्ध करवाने के पश्चात उनसे आग्रह करें कि एक शीट पर गैर विकेन्द्रीकृत नियोजन/योजना की उपयोगिता/लाभ से संबंधित शब्द लिखें और उसी प्रकार दूसरी शीट पर विकेन्द्रीकृत नियोजन/योजना की उपयोगिता/लाभ से संबन्धित प्रतिक्रिया लिखें। 10 मिनट के पश्चात प्रतिभागियों से शीट्स एकत्रित कर लें व इन शीट्स को दो अलग–अलग फ्लिप चार्टस अथवा दिवार पर गैर विकेन्द्रीकृत एवं विकेन्द्रीकृत शीट्स अलग–अलग लगाएं और उनका विश्लेषण करें।

सर्वप्रथम प्रतिभागियों के समक्ष गैर– विकेन्द्रीकृत योजना की उपयोगिता के संबंध में लिखी गई प्रतिक्रयाओं की चर्चा करें। इसके पश्चात विकेन्द्रीकृत योजना की उपयोगिता के संबंध में लिखी गई प्रतिक्रियाओं की चर्चा करें। चर्चा का संकलन करने के दौरान विकेन्द्रीकृत योजना के महत्व को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा प्रतिभागियों को इसका महत्व समझने में सहायता प्रदान करें।

फेसिलिटेटर के लिए सुझाव

- जब प्रतिभागी अपने अनुभवों का आदान–प्रदान कर रहे हों उस समय फेसिलिटेटर को घ्यान से उनकी बात सुननी चाहिए, न उनसे कोई सवाल पूछना चाहिए और न ही उनके वक्तव्य को काटना चाहिए।
- कार्यशाला प्रारंभ होने से पहले फेसिलिटेटर/प्रशिक्षक को प्रतिभागियों के संबंध में कि वे कौन हैं ? किसका प्रतिनिधित्व करते हैं ? वर्तमान कार्यशाला उनके कार्य में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होगी इत्यादि जानकारी होनी आवश्यक है।
- प्रशिक्षक/फेसिलिटेटर को ध्यान रखना चाहिए की कार्यशाला में प्रत्येक प्रतिभागी की सहभागिता हो। इसके लिए ष्बम इतांमते/और म्दमतहपेमते का उपयोग करें।

जिला नियोजन के लिए संसाधन मानचित्रण

1. संसाधन मानचित्रण एवं व्यवस्थापन (systematisation)

योजना निर्माण की प्रक्रिया के दौरान संसाधन मानचित्रण को प्रारंभिक बिन्दु के रूप में देखा जा सकता है। आंकड़े योजना निर्माण में रीढ़ के रूप में कार्य करते हैं। इन्ही ऑकड़ों के आधार पर योजना का प्रारूप खड़ा हो पाता है। इसलिए आवश्यक है कि जिला नियोजन प्रक्रिया में जिला से संबंधित आंकड़ों जैसे प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या आधारित आंकड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDG) इत्यादि का मानचित्रण किया जाए।

इसके पश्चात इन आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह तय किया जाए कि हमारे जिले की वास्तविक स्थिति क्या है। तदुपरांत हम अपने लक्ष्यों का निर्धारण सही रूप में करने में सक्षम होंगे। इस प्रक्रिया में SWOT[1] तकनीक का प्रयोग किया जा सकता हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मानचित्रण के दौरान यह बहुत आवश्यक है कि आंकड़ों का विभाजन (Disaggregation) नियोजन ईकाई के अंतिम स्तर (पंचायत/वार्ड) तक हो। इससे जहाँ एक और योजना बनाने में सहायता प्राप्त होगी वहीं दूसरी और हम सटीक तौर से लक्ष्यों का निर्धारण कर पाने में भी सक्षम होंगे।

संसाधन मानचित्रण एवं व्वस्थापन के आधार पर जिले की सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाए। यह भी सुनिश्चित कर ले कि सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी का समावेश हो। :–

- जिले के इतिहास, सामाजिक संरचना, भूगोल, अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकी और प्राकृतिक संसाधनों का संक्षिप्त परिचय;
- जिले में जनता के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचा और सेवाओं के ब्यौरे। साथ ही इसमें प्रशासनिक तंत्र, विशेष रूप से स्थानीय सरकार के तंत्र का वर्णन शामिल होगा;
- प्रमुख विकास क्षेत्रों, जिन्हें यथासंभव छोटे से छोटे आयोजना यूनिट में विभाजित किया गया हो से संबंधित आंकड़े;
- एक संक्षिप्त आकलन जिसमें विकास की प्रमुख विशेषताओं अथवा विकास की कमी पर और साथ ही पिछली योजना के कार्यान्वयन के परिणामों में उपलब्धियों और कमियों

[1] SWOT- strength, weakness, opportunities, threat अर्थात ताकत, कमज़ोरी, अवसर एवं चुनौतियां

तथा विद्यमान अंतरालों, आगे ले जाए गए अधूरे कार्यों और उनकी पूर्ति के लिए अपेक्षित निधियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया हो;

- जिले में आयोजना के लिए उपलब्ध सभी वित्तीय संसाधनों जैसे कि सरकारी निधियां, ऋण, उद्योगों के निवेश, धर्मार्थ संस्थानों द्वारा किये जाने वाले कार्य, एन. जी. ओ. तथा उद्योगों की सामाजिक जिम्मेदारी आदि का वर्णन किया गया हो। जहां तक संभव हो ऐसे ऑकड़े स्वतंत्र आयोजना यूनिटों के स्तर तक अलग–अलग किये जाने चाहिए; तथा
- ऐसे क्षेत्र जहां तुरंत उन्नति की संभावना है।

विकेन्द्रीकृत नियोजन में SWOT का महत्व

जिले की सर्वेक्षण रिपोर्ट (District Stocktaking Report) एवं उसके उपरांत जिले के दृष्टि निर्माण/परिकल्पना निर्माण में SWOT एक अहम भूमिका निभा सकता है। इस प्रक्रिया को हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला भाग जिले में उपलब्ध संसाधनों एवं जिले की वास्तु स्थिती के विश्लेषण पर आधारित होगा। जिसके आधार पर हम जिले की ताकत (strength) एवं कमज़ोरी (weakness) का आंकलन करनें में सक्षम होगे। दूसरा भाग बाह्य वातावरण पर आधारित होता है। यह हमें अवसर (opportunities) एवं चुनौतियों (threats) की पहचान करने में सहायता करता है। इस प्रकार जहां एक और हम जिले के पिछड़ेपन के कारणों की पहचान कर सकते हैं वहीं दूसरी ओर हम जिले के भीतर अथवा बाहर इनका निदान कर सकते वाले अवसरों की उपलब्धता का आंकलन एवं विश्लेषण भी कर सकते हैं।

प्रस्तुत रूपरेखा के आधार पर हम जिले अथवा विभिन्न योजना ईकाईयों के भीतर ताकत–कमजोरियों एवं अवसर–चुनौतियों का विश्लेषण कर सकते हैं।

	ताकत	कमज़ोरियाँ
अवसर	जिन ताकतों से हम उपलब्ध अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।	जिन कमज़ोरियों की वज़ह से हम अवसरों का लाभ नहीं उठा पा रहे।
चुनौतियाँ	जिन ताकतों से हम खतरों का सामना कर सकते हैं।	कमजोरियाँ जो चुनौतियों/खतरों को और बढ़ा रही हैं अथवा प्रबल कर रहीं हैं।

जिला योजना समिति की संसाधन मानचित्रण में भूमिका/कृत्य

मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 7(2) के अनुसार समिति योजनाओं को विकेन्द्रीकृत करने के लिए ठोस आंकड़ों का आधार सृजित करने हेतु जिले के प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों से संबंधित जानकारी का संग्रहण, संकलन, अद्यतन और जिले एवं खण्ड के संसाधनों की रूपरेखा तैयार करेगी। धारा 7(3) के अनुसार जिला योजना समिति ग्राम, खण्ड तथा जिला स्तर पर उपलब्ध सुख–सुविधाओं को सूचिबद्ध एवं उनका निरूपण करने का कार्य करेगी।

संसाधन मानचित्रण के लिये विभिन्न क्षेत्रकों से संबंधित जानकारी संलग्नक– 2 में दी गयी संदर्भ सामग्री से प्राप्त की जा सकती है।

गतिविधि 2

उद्देष्यः प्रतिभागियों में जिले की परिकल्पना बनाने की आवश्यकता एवं प्रक्रिया की समझ विकसित करना

समय	समग्री	लक्ष्य
1 घंटा	पेपर शीट्स, कलम/स्केच पेन, फ्लिप चार्टस, मार्कर, सफ़ेद बोर्ड, (वैकल्पिक)	सत्र के अंत में प्रतिभागी जिले की परिकल्पना का निर्माण करने में सक्षम होंगे।

प्रक्रिया : प्रतिभागियों को छोटे समूहों (3–4 प्रतिभागी/समूह) में विभाजित कर दें। इसके पश्चात प्रत्येक समूह को जिले से संबंधित एक केस स्टडी प्रदान करें जिसमें आंकड़ों, जानकारियों, ँ्र इत्यादि का समावेश हो।

प्रतिभागियों से आग्रह करें कि वे प्रस्तुत केस स्टडी के आधार पर जिले की परिकल्पना तैयार करें। प्रतिभागियों से यह भी आग्रह करें कि वे उन हितभागियों की पहचान भी करें जिनकी भागीदारी परिकल्पना निर्माण की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक होगी। और यह भी बताएं कि उन्हें क्यों लगता है कि पहचाने गए हितभागियों की भागीदारी आवश्यक है।

जब सभी समूह इस प्रक्रिया को पूरा कर लें तो प्रत्येक समूह अन्य प्रतिभागियों के समक्ष क्रमवार अपने कार्य को प्रस्तुत करें।

डीब्रीफिंग

उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात फेसिलिटेटर को चाहिए कि वे प्रस्तुत गतिविधि का विश्लेषण करें। फेसिलिटेटर को चाहिए कि वे प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें कि परिकल्पना निर्माण के दौरान क्या कठिनाईयाँ/चुनौतियां आ सकती है और उन्हें किस प्रकार वअमतबवउम (पराजित) किया जाए।

आकड़ों का प्रबंधन एवं व्यवस्थापन

आंकड़ा–प्रबंधन को व्यवस्थित करने का पहला कदम है उसका वर्गीकरण ताकि उसका आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। (देखें सारिणी–ु)

सरिणी–1

क्र.स.	संक्षिप्त विवरण		टिप्पणियॉ
1	प	आंकड़ों का स्त्रोत	ये मदें या आइटम्स मुख्य न होकर भी आंकड़ों (डाटा) के सामान्य लक्षण बताते हैं।
	पप	आंकड़ों का स्वामित्व	
2	प	आंकड़ा संग्रह और उसकी अपडेटिंग का समय	
	पप	आंकड़े कब एकत्र किये गये	
	पप प	डाटा के सही होने का समय	
3	डाटा कहॉ एकत्र होता है		इससे यह पता चलता है कि आंकड़े किस स्तर पर एकत्र किए गये थे।
	प	ग्राम सभा / क्षेत्र सभा स्तर	
	पप	ग्राम पंचायत / वार्ड स्तर	
	पप प	ब्लाक पंचायत स्तर	
	पअ	नगरपालिका स्तर	
	अ	जिला पंचायत स्तर	
	अप	जिला नियोजन समिति स्तर	
	अप प	राज्य सरकार स्तर	
	अप पप	केंन्द्र सरकार स्तर	
4	वह स्तर जहां प्रसार करना है		यह जरुरी है कि आंकड़े वहॉ तक पहूँचें जहॉ उनकी सबसे ज्यादा जरुरत हैं।
	प	ग्राम सभा / ग्राम पंचायत (ग्राम, क्षेत्र में) क्षेत्र सभा और वार्ड (शहरी क्षेत्र में)	
	पप	ब्लाक स्तर की पंचायत / नगरपालिका	
	पप प	जिला पंचायत / जिला योजना समिति	
5	प	लोग	यह की डाटा का विषय बताती है। जैसे कि बीपीएल सूची क्या कहती है और जल आपूर्ति डाटा किसके बारे में है।
	पप	सेवाएं और इंन्फ्रास्ट्रक्चर	
	पप प	पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन	
	पअ	धन / पैसा	
6	आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण		यह की डाटा प्रस्तुतीकरण कैसे करना है, यह बताती है।
	प	चंजपंस/ळपे मैप	
	पप	टैक्स फार्म	
	पप प	न्यूमेरिकल्स	
7	प	पूरा डाटा	इससे पता चलता है कि डाटा सभी इकाइयों

	पप	नमूना डाटा	से लिया गया है या फिर सैंपल / नमूना आकलनों से। उदाहरण के लिए, सभी परिवारों की आय से संबधित पूरा डाटा बीपीएल सूची तैयार करते समय उपलब्ध होता (वह कितना ही अस्पष्ट क्यों न हो)। उसे '7(प)' के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के सर्वेक्षणों से एकत्र जिले की आय से संबधित डाटा '7(पप)' के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।
8	प	स्टाक डाटा	यह की डाटा की सचल प्रकृति के बारे में बताता हैं। उदाहरण के लिए, निधियों के आबंटन का 'स्टाक' डाटा, और निर्मुक्त की गई राशियों के डाटा को 'फ्लो' डाटा के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।
	पप	फ्लो डाटा	

स्त्रोत : समेकित जिला नियोजन मैंनुअल, (2008), योजना आयोग, भारत सरकार

प्रस्तुत सारणी के अनुसार उपलब्ध ऑकड़ों के वर्गीकरण द्वारा जिले की सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा होगी। इस प्रकार ऑकड़ों के वर्गीकरण से यह पता लगाने में भी आसानी होगी कि कहॉ और किस स्तर पर ऑकड़ों संबंधी जानकारी का अभाव है, और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है? उपलब्ध ऑकड़ों के इस प्रकार के वर्गीकरण और उन्हें इकट्ठा करने से भविष्य में ऑकड़ों संबंधी जानकारी को जोड़ने में भी आसानी होगी।

जिला योजना के लिये परिकल्पना (Envisioning)

जिले की परिकल्पना (District vision) एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है जिसके माध्यम से आने वाले समय में जिले के समुचित विकास में मदद मिलती है। यह तय करता है कि हमें कहाँ जाना है और उसके लिए हमारे क्या संसाधन हैं। किन्तु यह परिकल्पना वित्तपोषी बाधाओं से प्रभावित नहीं होती। अपितु इसका उद्देश्य दीर्घकालीन आधार पर वित्तपोषण प्राथमिकताओं को प्रभावित करना होता है।

जिले की परिकल्पना का उद्देष्य

- एक ऐसा सामूहिक विकासात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना जो विभिन्न हितभागियों (stakeholders) के विचारों को प्रतिबिम्बित करें/दर्शाये।
- जिले के समग्र विकास के लिए एक प्रेरक लक्ष्य का निर्धारण करें।
- महिलाओं और वंचित समूहों (marginalized groups) की भूमिका का सम्मान करते हुऐ जिले के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करे।
- उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम (optimal) उपयोग के द्वारा सभी के लिए एवं मुख्य रूप से वंचित वर्ग के लिए आजीविका के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करे।
- जिले की परिकल्पना अगर सहभागिता पर आधारित होती तो यह मानव विकास एवं मूलभूत सुविधाओं के विकास के वर्तमान स्तर एवं जरूरतों का अनुमान लगाने में सहायता प्रदान करेगी।
- सामूहिक रूप से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में आने वाली चुनौतियों, कठिनाईयों एवं अवरोधों से सामना करने के लिए जिले के लोगों को प्रेरित करता है।
- एक गोल पोस्ट की भांति कार्य करता है जिसकी और संपूर्ण योजना निर्माण केन्द्रित रहता है।
- जिले के लोगों को एक ऐसी पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना बनाने में सहायता करता है जो यथार्थवादी, उद्देश्य उन्मुख और करने योग्य हो।

जिले के अन्दर जिला विजन का प्रसार ग्रामीण अभिशासन के दृष्टिकोण से प्रत्येक जनपद पंचायत एवं प्रत्येक पंचायत स्तर पर होगा। जनपद पंचायत के स्तर पर जिला विजन के परिप्रेक्ष्य में अपना विजन भी निर्मित किया जायेगा। इसके पश्चात् जब पंचायत स्तर के विजन निर्माण की प्रक्रिया होगी तो वहां जिला एवं सम्बन्धित जनपद पंचायत के विजन का आदान–प्रदान होगा, जिससे पंचायत को अपने विजन की दिशा मिल जायेगी। इसी प्रकार ग्राम सभा का विज़न तैयार किया जायेगा। शहरी अभिशासन के दृष्टिकोण से प्रत्येक नगर पंचायत,

प्रत्येक नगर पालिका एवं प्रत्येक नगर निगम स्तर पर जिले के विजन के विश्लेषण के उपरांत अपने–अपने विजन का निर्माण करना होगा। नगर पंचायत एवं नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड के स्तर पर जिला विजन एवं अपने–अपने नगरीय निकाय के विजन के विश्लेषण के प्श्चात् उनके अपने–अपने विजन का निर्माण होगा। नगर निगम के परिप्रेक्ष्य में जिला विजन एवं नगर निगम के विजन को प्रत्येक वार्ड समिति तथा मोहल्ला समिति/क्षेत्र सभा के स्तर पर आदान–प्रदान के पष्चात् अपने–अपने विजन का निर्माण होगा।

जिला विजन का प्रसार तथा इसके आधार पर विभिन्न स्तरों पर विजन निर्माण

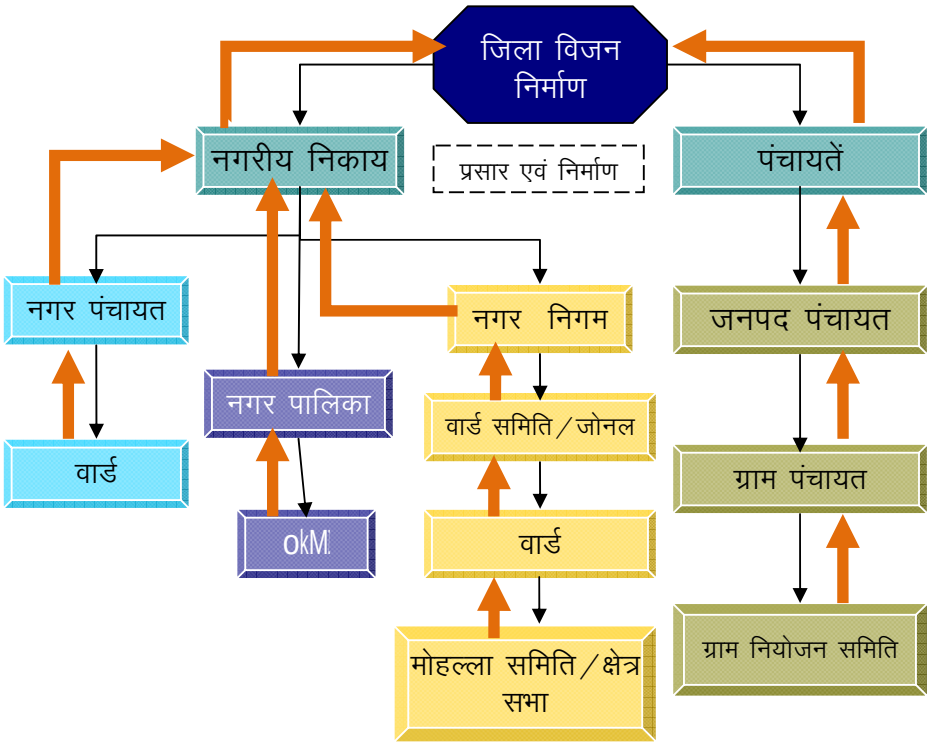

परिकल्पना में जिला योजना समिति की भूमिका

मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 की धारा 7(1) के अनुसार समिति को राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय उद्देश्यों का अभिनिर्धारण करना होगा तथा अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार समिति को उपलब्ध प्राकृतिक/मानव संसाधनों के अधिकतम तथा न्याय सम्मत उपयोग/विदोहन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं का अवधारण करना होगा।

गतिविधि 3

उद्देष्य : प्रतिभागियों में आंकड़ों के स्रोतों एवं ऑकड़ों को एकत्रित करने के विभिन्न साधनों एवं तकनीकों (tools & techniques) के संबंध में समझ विकसित करना

समय	सामग्री	लक्ष्य
45 मिनट	फ्लिप चार्ट, कलम/स्केच पेन, मार्कर, सफेद बोर्ड (वैकल्पिक), सेल्फ ऐड़हसीव टेप	सत्र के अंत में प्रतिभागी आंकड़ों के स्रोतों एवं उनके एकत्रीकरण के तरीकों को समझने में सक्षम होंगे।

प्रक्रिया

प्रतिभागियों को छोटे समूहों (3–4 प्रतिभागी/समूह) में विभाजित कर दें। इसके पश्चात प्रत्येक समूह से क्षेत्रवार ऑकड़ों के सूचक (indicator) पहचानने एवं लिखने के लिए कहें। उदाहरण स्वरूप प्रथम समूह शिक्षा से संबंधित, द्वितीय समूह स्वास्थ्य से संबंधित इत्यादि सूचकों को पहचाने और लिखें। प्रतिभागी समूहों से कहें की सूचक पहचाानने के उपरांत वे उसके स्रोत की पहचान भी करें और सूचकों के सामने लिखें। जब सभी समूह इस प्रक्रिया को पूरा कर लें तो प्रत्येक समूह अन्य प्रतिभागियों के समक्ष क्रमवार अपने कार्य को प्रस्तुत करें।

डीब्रीफिंग

उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात फेसिलिटेटर का कार्य होगा कि वे प्रस्तुत गतिविधि का विभिन्न उदाहरणों द्वारा विश्लेषण करें। फेसिलिटेटर को चाहिए कि वे प्रतिभागियों के साथ उन कठिनाईयों/चुनौतियों की चर्चा करे जा आकड़ों के एकत्रीकरण एवं व्यवस्थापन के समय आ सकती हैं। इसके उपरान्त फेसिलिटेटर को प्रतिभागियों के साथ आंकड़ों के एकत्रित करने के विभिन्न साधनों एवं तकनीकों पर चर्चा करनी चाहिए।

वित्तीय संसाधन मानचित्रण

संसाधन मानचित्रण की प्रक्रिया के दौरान ही वित्तीय संसाधन मानचित्रण भी करना आवश्यक है। क्योंकि नियोजन की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक की प्रत्येक नियोजन ईकाई को उन वित्तीय संसाधनों (बजट) की जानकारी, जिसको वह वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचलित करेगा और परिप्रेक्ष्य योजना अवधि के बाद उसे जो प्राप्त होने की संभावना है के बारे में जानकारी न हो।

वित्तीय संसाधन मानचित्रण में जिला योजना समिति का दायित्व

मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 7(7) के अंतर्गत जिला योजना समिति का यह दायित्व बनता है कि वे जिले की योजना के वित्तपोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का अनुमान करे। धारा 7(8) के अनुसार जिला योजना समिति को जिला विकास योजना के सम्पूर्ण ढांचे के भीतर रहते हुये क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय परिव्ययों का आबंटन करना।.

बजट जानने के लाभ

- इच्छित सूची में से क्रियाकलापों, कार्यक्रमों और कार्यों का प्राथमिकता निर्धारण और उन्हें ऐसी स्कीमों को सौंपना जहॉ से उनके लिये वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।
- यह जानना कि अन्य नियोजन ईकाइयों का बजट क्या है जिससे कि आपको यह पता हो कि दूसरे लोग क्या खर्च करने जा रहे हैं ताकि दोहराव से बचा जा सके और उन्हीं कार्यों को दोबारा से वित्तपोषित न किया जाए।
- यह जानना कि स्वयं अपने स्तर पर अथवा जिले में अन्य नियोजन ईकाइयों के स्तर पर किन कामों के लिये वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं जिससे कि आप उनके वित्तपोषण के लिए जिले के भीतर उपलब्ध सरकारी स्रोतों से आगे की बात सोचें।

बजटों का मानचित्रण कैसे करें?

जिले की तरफ आने वाली सभी संसाधन मुख्यतः पांच श्रेणियों में आती हैं:

- केन्द्रीय सरकार की निधियॉ – केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों, केन्द्रीय वित आयोग अनुदान, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता ;।ब।द्ध के रुप में ।
- राज्य सरकार की निधियॉ – केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों में राज्यांश, राज्य वित आयोग अनुदान एवं राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों के रुप में।
- स्थानीय सरकार का अपना राजस्व – करों, बिक्री, किराए एवं अनुदान आदि के रुप में।

- बैंक ऋण – जिले में कार्यरत बैंकों द्वारा उपलब्ध अनुदान एवं ऋणों के रुप में।
- निजि क्षेत्र की निधियॉ – जिले में कार्यरत निजि क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों के रुप में तथा निजि क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक सेवा आदि के कार्यक्रमों के रुप में।

योजना निर्माण (Planning) में जिला योजना समिति की भूमिका

इमारतें, सड़कें, नालियाँ, बिजली तथा आधारभूत संरचनाओं का बनाना ही पूर्ण विकास नहीं है। अपितु बुनियादी जीवन स्तर में समयबद्ध तरीके से बदलाव लाना ही संपूर्ण विकास है। जहां साधन बहुत थोड़े हो और जरूरतें ज्यादा हो, वहां काम को व्यवस्थित रूप से करने के लिए नियोजन जरूरी है। जैसा की हमने पहले संसाधन मानचित्रण एवं परिकल्पना निर्माण पर चर्चा की। इसी कड़ी में अगला कदम योजना निर्माण है।

नियोजन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित पहलूओं का होना आवश्यक है –

- मुद्दों को चिन्हित करना और प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताओं की पहचान करना।
- स्थानीय क्षमताओं का मूल्यांकन।
- स्थानीय विकल्पों को ध्यान में रखकर और उपयुक्त रणनीतियों की पहचान और कार्यवाही।
- उपलब्ध संसाधनों का आबंटन
- आन्तरिक और बाह्य स्रोतों से आय को बढ़ाने हेतु सम्भावनाओं की खोज, जैसे – कर, उपभोग शुल्क, भागीदारी, और ऋण आदि।
- कार्यक्रमों/परियोजनाओं का अर्थ बताना जैसे–गरीबी उन्मूलन योजना, लिंग न्याय कार्यक्रम, विशेष घटक और जनजातीय कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा हेतु कार्यक्रम
- कार्यान्वयन प्रक्रिया निश्चित करना।

बेहतर यह होगा कि नियोजन प्रक्रिया पाँच वर्ष के लिए हो और पाँच वर्ष तक ही योजना बने। जो राष्ट्रीय योजना की अवधि से मेल खाता हो। इस प्रक्रिया से वार्षिक योजना बने जो क्षेत्र की प्राथमिकताओं को योजना को परियोजानाओं में परिभाषित करें। ऐसे नियोजन से परियोजनाओं और क्षेत्र की प्राथमिकता निश्चित की जा सकती है। दीर्घकालिक नियोजन से नियोजन इकाई (पंचायत और नगरीय क्षेत्र) की पूरी तस्वीर पता चल जायेगी और लोग नियोजन के बारे में और उसके लिए उपलब्ध सरकारी निधि के बारे में जान सकेंगे।

जिला योजना समिति की योजना निर्माण एवं समेकन में भूमिका

मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 की निम्नलिखित धाराओं द्वारा योजना निर्माण एवं समेकन में जिला योजना समिति की भूमिका सुनिश्चित की गई है। धारा :

7(5) के अनुसार पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करते हुए जिले के सामाजिक–आर्थिक, भौतिक, सामयिक तथा स्थान संबंधी आयातों के परिप्रेक्ष्य में जिले की पंचवर्षीय और वार्षिक विकास योजना का प्रारूप तैयार करना तता उसे राज्य की योजना में सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।

7(6) के अनुसार जिले के लिए रोजगार योजना तैयार करना।

7(11) के अनुसार ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों का अभिनिर्धारण करना जिनमें संस्थागत वित्तपोषण किया जाना अपेक्षित है, उन्हें जिला योजनाओं के साथ समुचित रू॰ से सम्बद्ध करने के उपाय करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उन्हें ऐसा वित्तीय विनिधान अपेक्षित मात्रा में प्राप्त होता रहे।

योजना निर्माण के दौरान जिला योजना समिति क्या करे?

उप–समितियों का गठन

योजना निर्माण की प्रक्रिया में जिला योजना समिति की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 के अनुसार जिला योजना समिति जिले में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करते हुए जिले की पंचवर्षीय और वार्षिक विकास योजना का प्रारूप तैयार कर उसे राज्य की योजना में सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

इस संबंध में जिला योजना समिति अधिनियम की धारा 9 कि उपधारा (1) के अंतर्गत सौंपें गये एक या अधिक कृत्यों के निर्वाहन के लिए उप समितियाँ का गठन कर सकेगी। अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपसमितियाँ गठित की जा सकती हैं :–

i. जिले में रोजगार के अवसरों के सृजन को मॉनीटर करने तथा स्वरोजगार सृजित करने वाली स्कीमों को सम्मिलित करते हुए रोजगार के अवसर सृजित करने वाली स्कीमों के कार्यान्वयन का समन्वय करने के लिए।
ii. अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य कमज़ोंर वर्गो के कल्याण की विशिष्ट स्कीमों के लिए योजना बनाने तथा उनका समन्वय करने के लिए।

1. उप समिति के कृत्य :–

i) जिले में रोज़गार के अवसर सृजित करने वाले कार्यक्रमों योजनाओं के क्रियान्वयन, उनके समन्वय तथा अनुश्रवण से संबंधित समस्त कृत्यों का निर्वाह्न करेगी

ii) समय समय पर रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु ऐसे कार्यक्रमों को परिलक्षित करेगी जो जिला विशेष के संदर्भ में सुसंगत हो।

iii) बेरोज़गारी भत्ता योजना का क्रियान्वयन करेगी।

2. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए उप समिति :–

i) जिला सेक्टर के अधीन ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों जो लक्ष्य समूह के कल्याण एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही हैं की प्राथमिकताओं का निर्धारण करेगी और क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगी।

ii) उपलब्ध संसाधनों के परिपेक्ष्य में नवीन योजनाऐं परिलक्षित करेगी और योजना प्रस्ताव निश्चित करेगी।

iii) उप समिति उसके द्वारा निश्चित किए गए/अनुशासित योजना प्रस्तावों को जिला योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु जिला योजना समिति को भेजेगी।

इसके अतिरिक्त जिला योजना समिति के संकल्प द्वारा स्थाई या अस्थाई प्रयोजन हेतु उप–समितियों का गठन किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिए 6 क्षेत्रकों के आधार पर अस्थाई उप–समितियों का गठन किया जा सकता है। इसकी जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

क्षेत्रक	विभाग	क्षेत्रकवार प्रतिनिधि जो ज़िला के सदस्य होंगे
शिक्षा	स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा	जनशिक्षक/संकुल समन्वयक इत्यादि
स्वास्थ्य एवं पोषण	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू./आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास इत्यादि
आजीविका	कृषि उद्यानिकी, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशुपालन एवं डेयरी, ग्रामोद्योग, उद्योग, सामाजिक न्याय,	कृषि विस्तार अधिकारी/अतिरिक्त विकास विस्तार अधिकारी/उप वन क्षेत्रपाल इत्यादि

क्षेत्रक	विभाग	क्षेत्रकवार प्रतिनिधि जो ज़ैल के सदस्य होंगे
	जल संसाधन, मतस्यपालन, हथकरघा, सहकारिता, रेशम, योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग	
अधोसंरचना प्रबंधन	लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विभाग, जल संसाधन, ऊर्जा योजना	ग्रामीण यांत्रिकी/लोक निर्माण/सिंचाई /नरेगा इत्यादि विभाग से उपयंत्री अथवा उप वन क्षेत्रपाल
ऊर्जा, ईधन तथा वैकल्पिक ऊर्जा	ऊर्जा, ग्रामीण विकास, वन, ऊर्जा विकास निगम	ज़ैल के अंतर्गत आजीविका क्षेत्रक में सम्मलित रहेगा।
नागरिक अधिकार संरक्षण	भू–सुधार, सामाजिक न्याय श्रम, महिला एवं बाल विकास, राजस्व	ज़ैल के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्रक में सम्मलित रहेगा।

उप–समितियों की सदस्यता

मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 के अनुसार प्रत्येक उप–समिति में कलेक्टर या कलेक्टर के द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी के अतिरिक्त 5 से 11 सदस्य होंगे, जो जिला योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा जिला योजना समिति के सदस्यों में से तथा जिला योजना समिति अधिनियम 1995 की धारा 5 में यथा उपबंधित स्थाई विशेष आमंत्रितों में से नाम निर्दिष्ट किए जाऐंगे। जिला कलेक्टर अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी उप–समिति का पीठासीन अधिकारी संबंधित विभाग के जिला प्रमुखों/जिला योजना समिति के विशेषज्ञों को जब भी अपेक्षित हो उप समिति की सेवा के लिए सहयोजन कर सकेगा।

सहभागी नियोजन की तैयारी

जिला योजना समिति को नियोजन की तैयारी करते समय निम्नलिखित चरणों में कार्य करना चाहिएः

प्रथम चरण

प्रथम चरण में मुख्यतः योजना निर्माण करने से पूर्व हितभागियों की समझ विकसित करने की प्रक्रिया चलती है। इस चरण के विभिन्न बिन्दु निम्नलिखित हैं–

1) स्थान की पहचान करना : सहभागी नियोजन की प्रक्रिया जिस पंचायत अथवा नगरीय क्षेत्र में करनी है उस क्षेत्र की पहचान करना।

2) हितभागियों की पहचान करना : हितभागियों की पहचान करने के लिए स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत, नगरीय क्षेत्र तथा पंचायत समिति के सदस्यों, स्थानीय विधायक, अध्यापकों, गणमान्य व्यक्तियों, संस्थाओं, रिटायर्ड कर्मचारियों की सहायता ले सकते हैं। हितभागियों के चयन में इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि समाज/समुदाय के वे लोग भी इस प्रक्रिया में भाग लें जो कि जब तक समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं तथा उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है।

3) जागरूकता समूह का गठन : हितभागियों की पहचान करने के उपरान्त जागरूकता समूहों का गठन करना जो कि ग्राम/वार्ड स्तर पर लोगों की क्षमता वृद्वि कर सके ताकि नियोजन की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। यह जागरूकता समूह गांव/वार्ड स्तर के वे चुन्निदा लोग हो सकते हैं जो विभिन्न समितियों जैसे–पंचायत की स्थाई समितियों के सदस्य, नागर समाज के संगठन, नेहरू युवा केन्द्र के सदस्य, आदि हो सकते हैं। ये सभी फेसिलिटेशन की भूमिका निभा सकते हैं।

4) जिला, ब्लाक व पंचायत स्तर पर नियेाजन दलों का गठन : विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण में नियेाजन दलों की भूमिका मुख्य रूप से योजना तैयार कर उसे एक स्तर से दूसरे स्तर पर जोड़ने के रूप में होगी। ये योजना दल जिला योजना समिति द्वारा गठित उप–समितियों के मार्गदर्शन में विभिन्न हितभागियों के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार करेगा। जिला योजना समिति का यह दायित्व होगा कि वह नियोजन दल का प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास सुनिश्चित करें। विभिन्न स्तरों में निम्नलिखित नियोजन दलों का गठन किया जाएगा।

1) जिला स्तरीय नियोजन दल

इस दल में कम से कम 6 सदस्य होंगे जिनमें संबंधित विभागों के अधिकारी, नियोजन के विषय विशेषज्ञ, स्वयंसेवी संस्थाएं एवं अन्य संस्थानों से जुड़े लोग हो सकते हैं। इस दल की मुख्य जिम्मेदारी जिले में नियोजन के निचले स्तरों को आपेक्षित सहयोग, प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध करवाना एवं जनपद पंचायतों की समेकित योजनाओं को प्राप्त कर उनके समेकन से जिला ग्रामीण योजना तैयार करना होगा।

2) जनपद स्तरीय नियोजन दल

इसका गठन प्रत्येक जनपद पर किया जाएगा। इस दल में कम से कम 6 सदस्य होंगे जिनकी संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। यह जनपद स्तरीय विभागों के प्रमुख, सेवा अवकाश प्राप्त अधिकारी, स्वयं सेवी संस्थाओं के सदस्य आदि हो सकते हैं। इस दल की मुख्य जिम्मेदारी जिले में नियोजन के निचले स्तरों के आवश्यक सहयोग, प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराना एवं ग्राम पंचायतों से प्राप्त योजनाओं का जनपद स्तर पर समेकन करना तथा जनपद की योजना तैयार करना होगा।

3) ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता दल

इस दल का गठन प्रत्येक ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायत के समूह के लिए किया जायेगा। दल में 4–6 या अधिक सदस्य हो सकते हैं जिनमें विभिन्न विभागों के पंचायत स्तर के अधिकारी / कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि हो सकते हैं। इस दल के मुख्य कार्य पंचायत स्तर योजना निर्माण की प्रक्रिया का संचालन करना एवं योजना का निर्माण करवाना होगा।

4) ग्राम सभा स्तरीय नियोजन दल

ग्राम सभा की स्थाई समिति होने के नाते ग्राम सभा पर नियोजन की जिम्मदारी ग्राम विकास समिति की होगी। ग्राम विकास समिति नियोजन की प्रक्रिया को ग्राम स्तर पर तकनीकी सहायता दल के सहयोग से संचालित करेगी ।

5) नगरीय क्षेत्र के लिए नियोजन दलों का गठन

नगरीय क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रिया के संचालन के लिए जिला स्तरीय नियोजन दल का गठन किया जाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी शहरी विकास आधिकरण को दी जा सकती है। जिला स्तरीय नियोजन दल जिला योजना समिति के सहयोग से प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास

सुनिश्चित करेगा। नगरीय निकायों के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित नियोजन दलों का गठन किया जायेगा।

i. नगर पालिका/ नगर पंचायत स्तरीय नियोजन दल

इस दल में कम से कम 8 सदस्य होंगे। जिनमें इन स्तरों के संबंधित विभाग के अधिकारी, विषय विशेषज्ञ, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे। इस दल का मुख्य कार्य प्रत्येक वार्ड की योजनाओं को समेकन कर नगर पालिका/ नगर पंचायत की योजना तैयार करना होगा।

वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता दल

प्रत्येक नगरीय निकाय में वार्ड स्तर पर एक तकनीकी सहायता दल का गठन किया जाना चाहिए। इस दल में कम से कम 5 सदस्य होंगे। इसमें संबधित वार्ड सदस्य, विभागीय अधिकारी/ कर्मचारी, आंगनवाडी कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थाओं/ स्वैच्छिक संगठनों के सदस्यों को शामिल किया जा सकता है।

ii. नगर निगम नियोजन दल

नगर निगम स्तर पर कम से कम 10 सदस्यों का एक नियोजन दल गठित किया जाएगा जिसमें विभागीय अधिकारी, विषय विशेषज्ञ एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता हैं। इस दल का कार्य नियोजन प्रक्रिया का संचालन करना, निचले स्तरों को प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध करवाना एवं उनका मार्गदर्शन करना होगा। दल का मुख्य कार्य नियोजन के लिये नगर निगम का ड्राफ्ट प्लान तैयार करना एवं वार्ड समिति/ जोनल स्तरों की योजनाओं का समेकन कर नगर निगम की योजना तैयार करना होगा।

वार्ड समिति/ जोनल नियोजन दल

नगर निगम के अंतर्गत प्रत्येक वार्ड समिति/ जोनल स्तर पर एक नियोजन दल का गठ किया जाना चाहिए। इसमें कम से कम 7 सदस्य होंगे। जिनमें वार्ड के नागरिक, संबोधित वार्डों के कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों को शामिल किया जा सकता हैं।

वार्ड नियोजन दल : वार्ड समिति/ जोनल के अंर्तगत प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक नियोजन दल का गठन किया जा सकता हैं। इसमें कम से कम 5 सदस्य होंगे। जिनमें संबधित वार्ड सदस्य, संबधित विभागों के वार्ड स्तरीय कर्मचारी, स्वैच्छिक संगठनों/ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों एवं क्षेत्र सभा/ मोहल्ला समिति के सदस्यों को शामिल किया जा सकता हैं।

क्षेत्र सभा/ मोहल्ला समिति नियोजन दल

इस दल की योजना निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसमें कम से कम 5 सदस्य होंगे। जिनमें संबधित वार्ड पार्षद, संबधित विभागों के वार्ड स्तरीय कर्मचारी, स्वैच्छिक संगठन, युवा संगठनों, वैल्फेयर सोसाइटी आदि के सदस्यों को रखा जा सकता हैं।

द्वितीय चरण

1. आमुखीकरण कार्यषाला (Orientation workshop)

आमुखीकरण कार्यशाला का मुख्य उद्धेश्य गठित जागरूकता समूहों एवं तकनीकी सहायता समूहों के सदस्यों का क्षमता वर्द्धन करना है। इस कार्यशाला का आयोंजन जिला योजना समिति के मार्गदर्शन में जिला स्तर पर किया जाना चाहिए। कार्यशाला के लिए विषय वस्तू विशेषज्ञों, विभागीय प्रमुखों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं स्वैच्छिक संगठनों की मदद ली जानी चाहिए।

जिला योजना समिति की सहभागिता को सुनिष्चित करने में भूमिका

मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 की धारा 7(12) के अनुसार समिति विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता को सुनिश्चित कर सकती

2. नियोजन प्रक्रिया के लिए विषयों/मुद्दों की पहचान करना

नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले जिला योजना समिति को जिले से संबधित प्रमुख मुद्धों को चिन्हित कर लेना चाहिए। इन्हें पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चिन्हित ''योजना के 8 सूत्रों'' के रूप में देखा जा सकता हैं। यह सूत्र निम्नलिखित हैं।

योजना के सूत्र

- जाना कहाँ है, इसका बोध – लक्ष्यों की पहचान,
- उपलब्ध संसाधन और चिन्हित आवश्यकताओं को संबंद्ध करना,
- आवश्यकताओं की वरीयता करना,
- उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा,
- उन आवश्यकताओं की पहचान जिनसे लक्ष्य मिले,
- अन्य निकायों द्वारा निर्मित योजनाओं का एकीकरण और समन्वय,
- योजना के अनुरूप क्रियान्वयन,
- नियत लक्ष्यों तक पहुंचने की जांच करना,

आप अपने जिले के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। इसके लिए शताब्दी के विकास लक्ष्यों (Millennium Development Goals) को प्रारंभिक बिन्दु के रूप में लिया जा सकता है।

लक्ष्य 1: अति गरीबी और भुखमरी की समाप्ति
लक्ष्य 2: सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति
लक्ष्य 3: लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन
लक्ष्य 4: बाल मृत्युदर में कमी
लक्ष्य 5: मातृ स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार
लक्ष्य 6: HIV/AIDS, मलेरिया और अन्य बीमारियों पर नियंत्रण
लक्ष्य 7: पर्यावरण की सांतत्यता
लक्ष्य 8: साझा प्रयासों और सहयोग हेतु वैश्विक गठबंधन का विकास

प्रथम सूत्ररू कहाँ जाना है इसका बोध – लक्ष्यों की पहचान करना

आप अपने जिले के लक्ष्यों को तय कर सकते हैं, जैसे :

- 2020 में हम अपने जिले में क्या चाहते हैं,
- सभी माताएं स्वस्थ रहें,
- सभी बच्चों को अच्छा पोषण मिलें एवं टीकाकरण हो,
- सभी बच्चे स्कूल जायें,
- सभी के लिए नौकरी और उद्यमिता हेतु स्व–रोजगार/व्यापार/व्यवसाय के लिए अवसर,
- सभी के लिए आवास,
- सड़कें,
- सभी के लिए पेयजल,
- कृषि और सिंचाई,

आप इन लक्ष्यों को इस प्रकार अपना सकते हैं (आपके लक्ष्य जिले की दृष्टि तय करेगें) –

- शताब्दी के विकास लक्ष्यों को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों और राज्य के विकास लक्ष्यों में रूपांतरित किया जाये।
- आप इन लक्ष्यों को स्थानीय, जिले, विकासखण्ड और ग्रामीण स्तर पर तय कर सकते हैं।
- प्रत्येक लक्ष्य की वर्तमान स्थिति का मापीकरण और उनका यथार्थपरक मूल्यांकन, उदाहरण के लिए
  - स्वास्थ्य सुविधायें
    - कुपोषण,
    - मातृ मृत्यु दर,
    - शिशु मृत्यु दर,
    - बीमारियों की दर,
  - शैक्षणिक सुविधायें
    - साक्षरता दर,
    - शाला त्यागी दर, लड़कियों की शाला त्यागी दर,
  - गरीबी और खाद्यान्न सुरक्षा
    - अति गरीबी, पलायन,
    - खाद्यान्न सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा अनाज की उपलब्धता,
  - आर्थिक मुद्दे
    - कृषि विकास,
    - हाथकरघा/हस्तशिल्प/ग्रामीण उद्याोग/खाद्य प्रसंस्करण,
    - बड़े उद्योगों, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे सेवा उद्योग सहित, की सम्भावना,

द्वितीय सूत्रः आपके संसाधन क्या है? (उपलब्ध संसाधनों का नियतीकरण)

जन संसाधन

- कितनों के पास रोजगार है ?
- कितने अर्द्धरोजगार है या बेरोजगार हैं ?
- उनके पास क्या कौशल है, जिसका संवर्धन और संरक्षण करना है ?
- वे किन नये कौशल को सीखना चाहते हैं ?
- किसी भी कौशल के लिए कैसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है ?

प्राकृतिक संसाधन

- जिले में भूमि की प्रकृति कैसी है ? कितने में कृषि होती है ? कितनी सिंचित है ? कितने में जंगल या खदानें हैं ?
- कृषि का स्तर कैसा है ? मुख्य फसलें ? बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, ईधन वृक्षारोपण की सम्भावनाएं?
- उपलब्ध पानी का परिमाण ? पेयजल, कृषि, उद्योग और अन्य कार्यो में उपयोगिता ?
- प्राकृतिक संसाधनों को हम कैसे संरक्षित और सांतत्य कर सकते हैं ?

मानव निर्मित संसाधन

- उपलब्ध शासकीय अधोसंरचना (सड़क, पुल, बिजली, पेयजल, स्वच्छता, सिंचाई, सार्वजनिक भवन आदि) क्या हैं ? किन अतिरिक्त अधोसंरचना की आवश्यकता है।
- उपलब्ध निजी परिसम्पत्तियां क्या हैं ?
- आप एक चैक लिस्ट बनाएं– तालाब, हेण्डपम्प, शालाएं, अस्पताल, डिस्पेसरी, सड़क, नाले, पशु चिकित्सालय, लघु एवं कुटीर उद्योग, आई.टी.आई, गोदाम, शीतगृह आदि।
- बेहतर होगा कि सभी पंचायतों और विभागों की परिसम्पत्तियों का रजिस्टर बनाया जाये।
- क्या आप इसे जिले के नक्शें पर अंकित कर सकते हैं ? आप इसके लिए एन. आई.सी. की मदद ले सकते हैं।

वित्तीय संसाधन

- आपके जिले में कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं और प्रत्येक में कितना धन उपलब्ध है
- केन्द्रीय योजना राशि
- राज्य योजना राशि
- केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान
- राज्य वित्त आयोग अनुदान
- टैक्स व अन्य करों से आपके स्वंय के संसाधन

तृतीय सूत्रः आपकी चिन्हित आवश्यकताओं/ प्राथमिकताओं का निर्धारण

- सबसे पहले हम क्या लें ? आपको निम्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है :
- तत्काल आवश्यकता क्या है ?
- तत्काल क्या किया जा सकता है ?
- सर्वाधिक जनता के लिए क्या उपयोगी है ?
- सर्वाधिक कमजोर और गरीबों को क्या मदद होगी ?
- यदि एक समस्या के दो हल है, तो कौन सा कम लागत वाला होगा ?

चतुर्थ सूत्रः लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यकताओं की पहचान

आवश्यकताओं की सूची का निर्माण

- शुद्ध पेयजल
- स्वच्छता
- बच्चों और माताओं हेतु पोषक आहार
- पक्का मकान,
- शालाएं, खेलने का मैदान और शिक्षक
- भवन, उपकरण, दवाईयां डाक्टरों, दाईयों तथा सहायकों सहित डिस्पेन्सरी/अस्पताल
- स्वरोजगार हेतु ऋण
- स्व–रोजगार एवं व्यापार हेतु प्रशिक्षण
- सड़क
- बिजली
- कृषि और सिंचाई
- बाजार
- इनके अतिरिक्त भी आप अपने जिले के अनुसार वैकल्पिक आवश्यकताएं तय कर सकते हैं।

पांचवा सूत्रः आवश्यकता एवं संसाधनों का सामंजस्य

- सर्वप्रथम आवश्यकता एवं संसाधनों की पहचान कर प्रत्येक आवश्यकता को संसाधन के साथ सामंजस्य करते हुए अधिकतम लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी
- आर्थिक संसाधनों के आधार पर क्रियाशीलता की प्राथमिकता तय करना –
  - सर्वप्रथम विशेष कार्यो हेतु आवंटित राशि को सही कार्य में उपयोग करना ।
  - साथ ही असंबद्ध राशि को आवश्यकतानुसार उपयोग करना।

छठां सूत्रः समेकन

- प्रत्येक ग्राम पंचायत/मध्यस्थ पंचायत/जिला पंचायत अपनी आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर योजना बनायेगी (जहां राज्य सरकार द्वारा निर्देशित है वहां कार्यमानचित्र बनेगा)
- नगरीय निकाय भी ऐसा करेंगी।
- पंचायत और नगरीय निकायों की योजना जिला योजना समिति द्वारा बनायी गई योजना में समेकित होगी।

समेकित करने में योजनाओं का अभिमुखीकरण शामिल है ...

- प्रत्येक पंचायत के स्तर पर अभिमुखीकरण होना है, जब परियोजना विभिन्न कार्यक्रमों से हो।
- विभिन्न स्तरों पर पंचायते अपने संसाधनों को सभी के लिए उपयोगी साझा परियोजनाओं हेतु एकीकृत कर सकती हैं।
- अंत में नगरीय निकाय और पंचायतें साथ में बैठकर उन क्षेत्रों को खोज सकती है, जहां योजनाओं हेतु धनराशि का पूल हो सके और साझा परियोजनाएं ली जा सकें।

बेहतर क्रियान्वयन हेतु योजना प्रचारित करना

- एक बार समाज के सभी वर्गो की आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के मानचित्रीकरण के बाद योजना का ड्राफ्ट जनता के सामने प्रस्तुत करें।

सांतवा सूत्रः क्रियान्वयन

- पंचायतों और नगरीय निकायों को योजनाओं हेतु आवंटित राशि की लगातार जांच करें।
- तय करें, कार्य कौन करेगा – पंचायत, नगरीय निकाय, या विभाग स्वंय ?
- कार्य की स्वीकृति, टेन्डर, बाहरी सलाह – की लगातार जांच करें।
- आप उन सम्पत्तियों के कार्य कर रहें हैं, जो आपसे संबंद्ध नहीं हैं ?
- सामान्य और वैधानिक गुणात्मक जांच लगातार करें।

आठवां सूत्रः लक्ष्य प्राप्ति तक जांच करें

- स्वतंत्र मूल्यांकन, यह जानने का एकमात्र तरीका है कि आप सफल हुए या असफल।
- भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की जांच का आसान तरीका है– ''कितने सामुदायिक केन्द्र या शालाओं का निर्माण किया गया है'' ?
- परंतु गुणात्मक लक्ष्यों की जांच कठिन है– क्या शिशु मृत्युदर कम हुई ? क्या शालात्यागी दर कम हुई ? क्या बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ी ?
- क्या एक असफल योजना, एक उपयोगी योजना है ?
- हाँ, यदि कोई समझे कि कोई असफल क्यों हुआ ?
- आपके जिले में आपकी सफलता या असफलता के जांच के मौलिक तरीको को प्रोत्साहित करें,
- उदाहरण के लिए – पंचायतें परस्पर निरीक्षण करें और उनकी श्रेणी बनाये. या नागरिक स्वयं क्रियांवयन पर रिपोर्ट कार्ड बनायें!

योजना निर्माण में जिला योजना समिति की भूमिका

उड़ीसा जिला योजना समिति अधिनियम 1998 के अंतर्गत राज्य सरकार का मंत्री जिला योजना समिति का अध्यक्ष होगा। समिति के अध्यक्ष के रूप में मंत्री जिले के सर्वागीण विकास के लिए किस रूप में योगदान प्रदान कर सकता है इसका उदाहरण उड़ीसा के अंगुल और नयागढ़ जिलों की 2008–09 की वार्षिक विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया के दौरान सामने आया।

अंगुल जिले में योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ गावों में विषम परिस्थितियों के चलते बच्चे शिक्षा पाने में असमर्थ हैं। इस संदर्भ में जिला योजना समिति के अध्यक्ष श्री प्रताप जेना, शिक्षा मंत्री, उड़ीसा ने यह घोषणा की ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर स्कूल खोले जाऐंगे। मंत्री जी ने इसे जिला योजना में शामिल करने का भी आदेश दिया। इसी प्रकार जिला योजना समिति नयागढ़ की योजना निर्माण के दौरान हुई बैठक में महिलाओं की समस्याओं के निवारण के लिए Toll–free Helpline की मांग पर प्रभारी मंत्री श्रीमति प्रोमिला मालिक, महिला एवं बाल विकास मंत्री, उड़ीसा ने जिला कलेक्टर को तुरंत प्रभाव से इस संबघ में कार्यवाही करने का आदेश दिया।

जिला योजना समिति अंगुल के अध्यक्ष श्री प्रताप जेना द्वारा जिला योजना समिति की बैठक से पूर्व तालचेर विकास खण्ड में कोयला खदानों का दौरा किया गया। इन खदानों में आग लगने के परिणाम स्वरूप पर्यावरण को नुक्सान पहुंच रहा था। मंत्रीजी द्वारा जिला योजना समिति की बैठक के दौरान यह घोषणा की गई कि जिले में पर्यावरण की सुरक्षा की लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे और इन उपायों को जिला योजना में भी जोडा जाए।

जिला योजना समिति द्वारा समेकन की प्रक्रिया

मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 की धारा 7(5) के अनुसार समिति को पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करते हुए जिले की पंचवर्षीय एवं वार्षिक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

समेकन की प्रक्रिया को समझने से पहले यह नितांत आवश्यक है कि हम समझें की वास्तव में समेंकन का क्या अर्थ है। विगत वर्षों से जिस प्रकार योजनाओं का निर्माण होता है उसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की योजनाओं को अलग–अलग तरीके से बनाया जाता है। जहां एक और ग्रामीण क्षेत्रों की योजनायें अधिकांशतः सामाजिक आर्थिक और क्षेत्रीय दृष्टिकोण से बनाई जाती हैं वहीं दूसरी और शहरी क्षेत्रों की योजना निर्माण में समाजिक नियोजन की अनदेखी कर भू–प्रयोग और जोनिंग को अधिक महतव दिया जाता है। इसके फलस्वरूप ग्रामीण योजनाएं स्थानिक नियोजन का लाभ अर्जित नहीं कर पातीं और संसाधनों का अपर्याप्त प्रयोग होता है जबकि शहरी योजनाओं में समाजार्थिक दृष्टिकोण की कमी साफ देखी जा सकती हैं।

इन समस्याओं से योजनाओं के समेकन के माध्यम से निपटा जा सकता है। क्योंकि समेकन की प्रक्रिया में विकास के विभिन्न पहलुओं को बराबर दर्जा दिया जाता है जिसके फलस्वरूप जो योजनाएं तैयार होती है वे अपने आप में संपूर्ण होती हैं। इसके माध्यम से शहरी और ग्रामीण योजनाओं के क्षेत्रीय और स्थानिक पक्षों के समाकलन के लिए व्यवस्था उपलब्ध होती है। यह प्रक्रिया शहरी और ग्रामीण स्तरीय स्थानीय सरकारों को पारम्परिक परामर्श तथा बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध करवाती है।

गतिविधि 4

उद्देष्य : प्रतिभागियों में समेकन की प्रक्रिया एवं लाभकारिता की समझ विकसित करना

समय	सामग्री	लक्ष्य
एक घंटा	पेपर शीट्स, पैन, फ्लिप चार्ट/ चार्ट पेपर, मार्कर पैन, बोर्ड (वैकल्पिक)	सत्र के अंत में प्रतिभागि समेकन की प्रक्रिया एवं प्रभावकारिता को समझने में सक्षम होंगे

प्रक्रिया : प्रतिभागियों को समूहों में विभाजित करें दें (3–4 प्रतिभागी प्रति समूह)। इसके पश्चात प्रत्येक समूह को पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के दायित्वों से संबंधित संविधान की 11वीं एवं 12वीं अनुसूची प्रदान करें। उनसे आग्रह करें कि वे इन अनुसूचियों को ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों के सांझा दायित्वों की पहचान करें। इसके पश्चात सांझा दायित्वों के संबंध में जिन विषयों की पहचान की गई है उन विषयों में से किसी एक विषय पर प्रत्येक समूह चर्चा करें और उन बिंदुओं की पहचान करें जिन बिंदुओं पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र साथ में संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ बिन्दु हो सकते हैं :

- ऐसी परियोजनाओं की पहचान जो भौतिक रूप से एक दूसरे को निकट हैं या जुड़ी हुई हैं।
- ऐसी परियोजनाऐं जो ग्रामीण एवं शहरी हितकारकों को समान रूप से प्रभावित करती हैं।
- ऐसे मुद्दे जो आपसी सहयोग से कार्य करने की स्थिति में अधिक लाभप्रद हो सकते हैं और टकराव की स्थिती को टाल सकते हैं।

जब सभी समूह इस प्रक्रिया को पूरा कर लें जो प्रत्येक समूह अन्य प्रतिभागियों के समक्ष क्रमवार अपने कार्य को प्रस्तुत करें।

डीब्रीफिंग

उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात फेसिलिटेटर को चाहिए कि वे प्रस्तुत गतिविधि का विश्लेषण करें। फेसिलिटेटर को प्रतिभागियों के साथ चर्चा करनी चाहिए की समेकन की प्रक्रिया के दौरान क्या कठिनाईयाँ/चुनौतियाँ आ सकती हैं और उन्हें किस प्रकार पराजित किया जाए।

समेकन के चरण

1. समेकन के लिए क्षेत्रों का निर्धारण

ग्रामीण तथा शहरी नियोजन को एक–दूसरे से मिलाने के लिए पहला कदम पंचायतों और नगरपालिकाओं के संविधान द्वारा सौंपे गए कार्यात्मक दायित्वों में संभावित समानताओं की पहचान करना हैं। संविधान की ग्यारहवी अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषय एवं बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषय क्रमशः पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को सौपे गए हैं। प्रस्तुत तालिका के माध्यम से हम पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के सांझा दायित्वों की पहचान कर सकते हैं।

11वीं एवं 12वीं अनुसूची की मदों के अनुसार ग्रामीण एवं नगरीय निकायों के सांझा दायित्व

पंचायत दायित्व 11वी अनुसूची में		नगरीय निकाय दायित्व 12वीं अनुसूची में	
क्रम संख्या	विवरण	क्रम संख्या	विवरण
षिक्षा			
17	प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों सहित शिक्षा	13	सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य को बढ़ाना
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा		
19	प्रौढ़ तथा गैर–औपचारिक शिक्षा		
20	पुस्तकालय		
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप		
स्वास्थ्य			
23	अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता	6	जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई तथा ठोस अपषिष्ट प्रबंध
24	परिवार कल्याण		
25	महिला तथा बाल विकास		
बुनियादी ढ़ाचा			
11	पेयजल	5	घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति
13	सड़कें, पुलिया, सेतु, नावें, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन	4	सड़कें और पुल
14	विद्युत के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण	17	गलियों में प्रकाश, पाक्रिंग लाट, बस स्टाप तथा सार्वजनिक सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुख सुविधाएं
16	सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव	14	कब्रगाह और कब्रिस्तान; अंत्येष्टि, अंत्येष्टि स्थल तथा विद्युत शवदाहगृह

15	गैर–पारंपरिक ऊर्जा	7	अग्निशमन सेवायें
		16	जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़ें
आर्थिक विकास			
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित लघु उद्योग	3	आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आयोजन
9	खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग		
22	बाजार तथा मेले		
निर्धनता उप शमन			
10	ग्रामीण आवासन (इंदिरा आवास योजना सहित)	10	मलिन बस्ती सुधार और स्तरोन्नयन
16	निर्धनता उपशमन कार्यक्रम	11	शहरी निर्धनता उपशमन
27	कमजोर वर्गों का और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	9	समाज के दुर्बल वर्गों जिनमें विकलांग तथा मानसिक दृष्टि से मंद व्यक्ति शामिल हैं, के हितों की सुरक्षा
26	विकलांगों और मानसिक दृष्टि से मंद व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण		
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली		

पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के सांझा दायित्वों की पहचान करने के बाद समेकन में इन सांझा कार्यात्मक जिम्मेदारियों पर अधिक बल देना चाहिए।

2. समेकन के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान

पंचायत एवं नगरपालिका क्षेत्रों में संझा दायित्वों वाले मदों को पहचानने के पश्चात जिला योजना समिति को समेकन हेतू प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप यह निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं :

i. नगरपालिकाओं एवं पंचायतों को जोड़ने अथवा वहाँ से गुजरने वाले परिवहन मार्ग
ii. जल संसाधन नियोजन के अंतर्गत संसाधनों की जिम्मेदारी, संसाधनों पर अधिकार, विवरण दायित्व, प्रयोकता प्रभार आदि।
iii. ग्रामीण जल निकायों और कृषि भूमि को बाहरी मलजल और औद्यौगिक ईकाईयों से निकले विषैले अवशिष्ट से बचाना।
iv. अपशिष्ट निपटान, लैंडाफिल स्थान तथा उनका प्रबंधन
v. विद्युत आपूर्ति
vi. कृषि उत्पादों के विपणन हेतु शहरी क्षेत्रों में कृषकों के लिए स्थान उपलब्ध करवाना।

3. समेकन हेतु क्षेत्र–वार समेकन समितियों का गठन

जिला योजना समिति द्वारा चिन्हित 6 क्षेत्रकों : शिक्षा; स्वास्थ्य तथा पोषण; आजीविका; अधोसंरचना प्रबंधन; ऊर्जा; ईंधन तथा वैकल्पिक ऊर्जा; एवं नागरिक अधिकार संरक्षण के आधार पर समेकन हेतु समितियों का गठन किया जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्रक समेकन समिति पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रीय योजनाओं की जांच करेगी। समेकन एवं समाकलन किए जाने की आवश्यकता एवं संभावना है उनका पता लगाया जाऐगा। क्षेत्रवार समेकन समितियों की प्रक्रियाएं निम्नलिखित कार्य प्रवाहों के माध्यम से समझी जा सकती है :

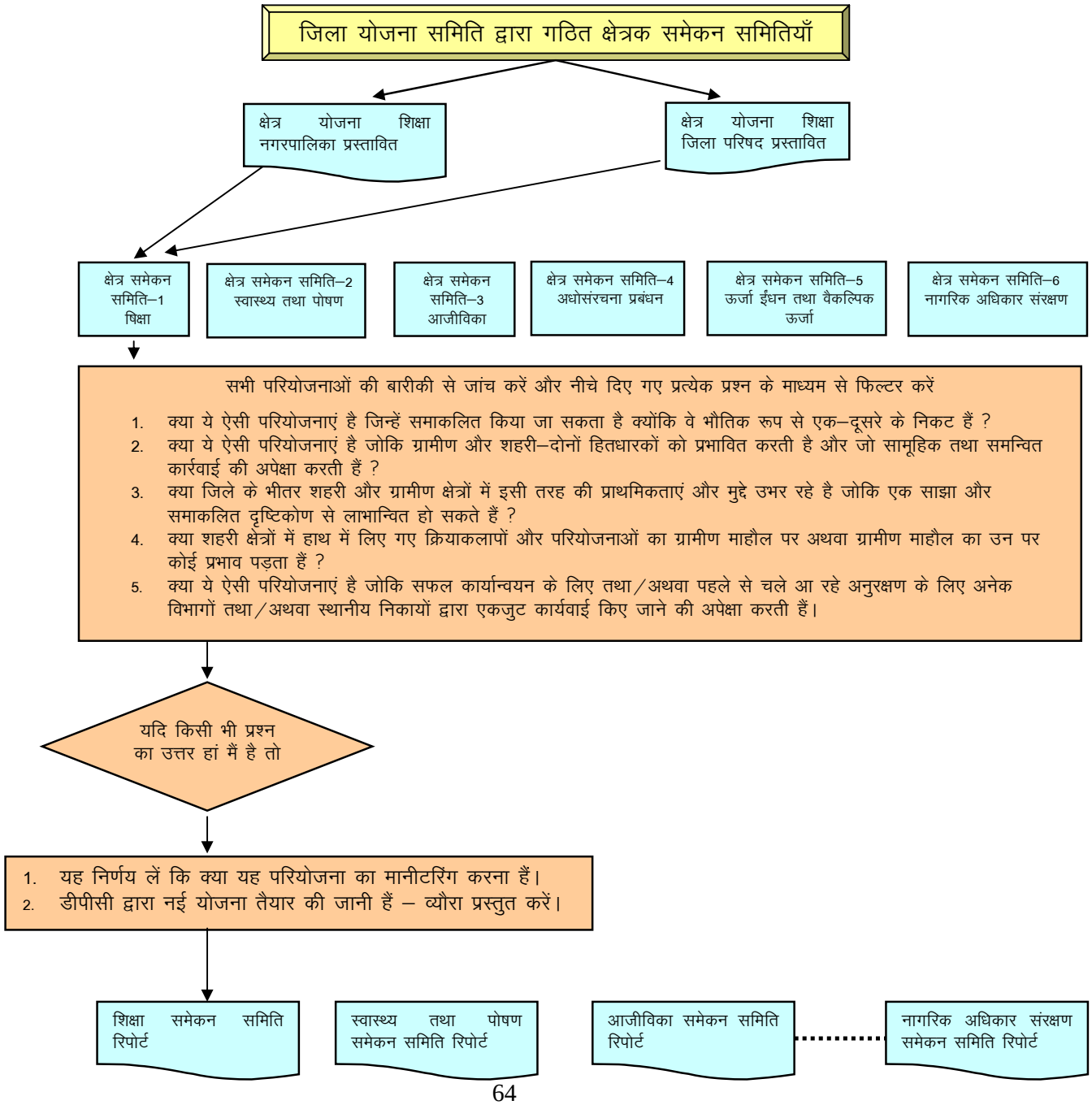

स्रोत : समेकित जिला नियोजन मैनुअल, (2008), योजना आयोग, भारत सरकार

क्षेत्रक समेकन समितियाँ समेकन के पश्चात जिला योजना समिति को प्रस्तुत प्रपत्र के माध्यम से क्षेत्र समेकन समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

प्रपत्र : क्षेत्रक समेकन समिति रिपोर्ट

सामान्य जानकारी																	
जिला परिषद																	
शहरी स्थानीय निकाय																	
समेकन ब्यौरे																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				स्माकलित परियोजनाएं						निधियों के स्रोत							(सही का निशान लगाए)
										क		ख		ग			
एस 1	क्षेत्रक समेकन समिति परियोजना आईडी	समेकन का कारण (लीजेंड देखें)	नई परियोजनाएं / मानीटरन	परियोजना आईडी	स्थान	जि.प्र. नगर निकाय का नाम	परियोजना का विवरण	अनुमानित लागत	परियोजना अवधि	निधि स्रोत	राशि	निधि स्रोत	राशि	निधि स्रोत	राशि	प्राथमिकता	अंतः क्षेत्रीय समाकलन की जरूरत है

कालम 3 के लिए लीजेंड	
1	भौतिक सामीप्य
2	सझा हितधारक आधार
3	संसाधन एकत्रीकरण
4	अधूरे काम को आगे ले जाने के प्रभाव
5	अंतःक्षेत्रीय निर्भरता
6	अन्य

स्रोत : समेकित जिला योजना मैनुअल (2008), येजना आयोग, भारत सरकार

जिला योजना समिति क्षेत्रक समेकन समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात इन सिफारिशों पर उपयुक्त निर्णय लेगी। प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात जिला योजना का प्रारूप तैयार किया जा सकेगा।

स्थानीय योजनाओं व जिला योजना का समेकन, जिला कोल्लम, केरल

जिला योजना समिति कोल्लम द्वारा स्थानिक (spatial) योजना पद्धति से कोल्लम जिले के लिए एकीकृत जिला योजना एवं प्रत्येक स्थानीय सरकार के लिए स्थानीय विकास योजना बनाने का निर्णय लिया गया। संबंधित प्रस्ताव को राज्य योजना बोर्ड को भेजा गया। राज्य योजना बोर्ड द्वारा 1 अगस्त 2003 को इस कार्य को एक प्रयोगिक प्रायोजना के तौर पर मंजूरी दे दी गई और जिला योजना समिति कोल्लम के तत्वावधान में एकीकृत जिला योजना एवं स्थानीय सरकारों की विकास योजनाएं बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। यह प्रायोजना राज्य स्तर पर प्रारंभ न होकर जिला स्तर पर जिला योजना समिति द्वारा प्रारंभ की गई। इस प्रकार योजना बनाने की प्रक्रिया का एक मज़वूत पहलू प्रायोजना निर्माण के वित्त पोषण का तरीका भी था। कोल्लम जिले की सभी स्थानीय सरकारों को 10वी पंचवर्षीय योजना से इस प्रायोजन को चलाने के लिए धन आबंटित किया गया। इस प्रकार के प्रायोजन की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 में इसे प्रदेश के अन्य जिलों में चलाने का निर्णय लिया गया।

स्त्रोत : स्थानीय एवं जिला विकास योजनाओं का समेकन : कोल्लम जिला केरल से एक उदाहरण, जैकब ऐसो ,ftp://ftp.solutionexchange.net.in/public/deen/cr/res14061004.doc)

योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा

विकेन्द्रीकृत नियोजन के माध्यम से तैयार जिला योजना के क्रियान्वयन के समय जिला योजना समिति से इस योजना की नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा किया जाना आपेक्षित हैं। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 में समिति को यह अधिकार भी प्राप्त है।

प्रस्तुत कृत्यों के अनुसार जिला योजना समिति की जिले की योजना के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका हैं।

जिला योजना समिति की योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका

मध्य प्रदेश जिला योजना अधिनियम, 1995 की धारा 7 की उपधारा 9 के अनुसार समिति का विकेन्द्रीकृत योजना के ढांचे के अंतर्गत जिले में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों जिनमें केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्र द्वारा प्रयोजिक स्कीमों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीमों भी सम्मिलित हैं की प्रगति को मानीटर करना, उनका मूल्यांकन करना तथा पुनर्विलोकन करने का कृत्य प्रदान किया गया हैं।

अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 10 के अनुसार समिति जिला योजनाओं में सम्मिलित स्कीमों के संबंध में नियमित प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 13 के अनुसार समिति जिले के विकास की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली राज्य सेक्टर की स्कीमों के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव दे सकती हैं।

योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा की प्रक्रिया

जैसा की विदित है कि जिला योजना समिति को यह अधिकार दिया गया है कि वह विभिन्न योजनाओं की प्रगति को मानीटर करना, उनका मूल्यांकन करना तथा पुनर्विलोकन करने का कार्य कर सकती है। समिति इस कार्य को निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से कर सकती है :–

- स्थानीय सरकारों को विभिन्न स्तरों पर सौंपे गए योजना क्रियान्वयन के कृत्यों के माध्यम से जिला योजना समिति द्वारा विभिन्न स्तरों पर स्थानीय सरकारों के साथ बेहतर तालमेल के द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी किया जाना संभव है।

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा (49–क) के अनुसार ग्राम पंचायत को आधारभूत नागरिक सुविधाओं की योजना तैयार करना और उनका प्रबंध करना; ग्राम पंचायत के भीतर विकास स्कीमों और निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करना, निष्पादित करना और उनका पर्यवेक्षण करना; हितकारियों के लिए बनाई गई स्कीमों और कार्यक्रमों का नियंत्रण करना तथा उन्हें मॉनीटर करना; स्थानीय योजनाओं, संसाधनों और ऐसी योजनाओं के लिए व्ययों पर नियंत्रण रखना आदि कृत्य सौंपे गए हैं।

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 50 (1–क) के अनुसार जनपद को पंचायत निधि में से विकास स्कीमों के संकर्मों को मंजूर करना, उनका पर्यवेक्षण करना, मोनीटर करना और प्रबंध करना तथा इस प्रयोजन के लिए पंचायत निधि में से खर्च उपगत करना; ग्राम पंचायतों के माध्यम से या निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से ऐसे संकर्मों, स्कीमों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को, जो राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को अंतरित की गई हैं, लागू करना, निष्पादित करना, पर्यवेक्षण करना, मोनीटर करना तथा प्रबंध करना आदि कृत्य सौंपे गए हैं।

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 52 (1) के अनुसार जिला पंचायत को जनपद पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का समप्वयन, मूल्यांकन, मॉनीटर करना और उनका मार्गदर्शन करना आदि कृत्य सौंपे गए हैं।

ग्राम, वार्ड और क्षेत्रीय सभा द्वारा योजनाओं की निगरानी : यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ग्राम, वार्ड तथा क्षेत्रीय सभाओं जैसे नागरिक मंचों की बैठकें आयोजित की जाएं और योजना कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए। इन कामों को सुविधापूर्ण बनाने के लिए कुछ उपाय बॉक्स में दिए गए हैं।

<table>
<tr><td rowspan="3">सभी द्वारा स्वीकृत चर्चा के कुछेक नियमों सहित नियमित बैठकें जिससे कि पूर्ण सहभागिता की अनुमति मिल सके</td><td>नियतकालिक आधार पर बैठकों का आयोजन</td></tr>
<tr><td>हर व्यक्ति की चिंताओं और जिन मदों की समीक्षा और मानीटरन किया जाना है, उनकी परिचायक सुस्पष्ट कार्यसूची</td></tr>
<tr><td>निर्वाचित प्रतिनिधियों, कार्मिकों, कार्य ठेकेदारों, निजी सेवा प्रदाताओं आदि की आवश्यक रिकार्डों सहित अनिवार्य उपस्थिति</td></tr>
<tr><td colspan="2">दस्तावेजों, रिकार्डों और नमूनों का सार्वजनिक पठन और निरीक्षण</td></tr>
<tr><td colspan="2">सामुदायिक स्कोर कार्डों अथवा नागरिक रिपोर्ट कार्डों के परिणामों का सार्वजनिक पठन तथा कार्यों और सेवाओं के सार्वजनिक आकलन की अन्य प्रक्रियाएं</td></tr>
<tr><td colspan="2">विभिन्न कार्यों और क्रियाकलापों के लिए आबंटित और संवितरित निधियों का वस्तुतः पता लगाने की सार्वजनिक प्रक्रिया</td></tr>
<tr><td colspan="2">बैठक की समाप्ति से पूर्व चर्चा तथा कार्यवृत्त के प्रारूप के सार्वजनिक पठन की विस्तृत रिकार्डिंग</td></tr>
</table>

स्रोत : समेकित जिला योजना मैनुअल (2008), येजना आयोग, भारत सरकार

- जिला योजना समिति द्वारा गठित 6 क्षेत्रक उप–समितियों के माध्यम से निगरानी प्रक्रिया का किया जाना संभव है।
- जिला योजना समिति इस कार्य के लिए एक अतिरिक्त उप–समिति का गठन भी कर सकती है जो विभिन्न स्तरों पर स्थानीय सरकारों एवं विभिन्न विभागों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा का कार्य करेगी।

मधुबनी जिला योजना समिति की योजना निर्माण के क्रियान्वयन में भूमिका

बिहार के मधुबनी जिले में जिला योजना समिति का गठन अप्रैल 2007 में हुआ। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वितीय वर्ष 2007–08 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत पिछड़े जिलों को विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से जिला योजना बनाने के लिए कहा गया जो कि जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदन पश्चात मंत्रालय को भेजी जानी थी। इसी संदर्भ में 30 अगस्त 2008 को जिला योजना के अनुमोदन के लिए मधुबनी जिला योजना समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला योजना समिति के कुछ सदस्यों द्वारा योजना बनाने की प्रक्रिया के दौरान ग्राम सभा की बैठकों के संदर्भ में संशय व्यक्त किया गया। सदस्य ग्राम सभाओं द्वारा तैयार एवं पारित की गई योजनाओं की वैधता की पड़ताल करना चाहते थे। इस संदर्भ में जिला योजना समिति द्वारा एक तथ्यान्वेषी समिति (fact finding committee) का गठन किया गया। इसमें संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से जिला पंचायत के सदस्यों और संबंधित खण्ड विकास अधिकारी (BDO) को शामिल किया गया। जब इस समिति द्वारा ग्राम पंचायतों में जाकर योजना की वैधता की पड़ताल की गई तो यह बात सामने आई की प्रस्तुत योजना को ग्राम सभा के पूर्ण कोरम में अनुमोदित किया गया है। तथ्यान्वेषी समिती के प्रतिवेदन के पश्चात जिला योजना समिति, मधुबनी की अध्यक्षा श्रीमती रागिनी देवी द्वारा यह घोषणा की गई की जिला योजना समिति विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया को सही रूप में सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास करेगी एवं इसके लिए जिला योजना समिति को योजना के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करेगी।

योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी की तकनीक एवं साधन

1. संख्यात्मक / संख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण

योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा हेतु संख्यिकीय आंकड़े का विश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं। जिला योजना समिति को चाहिए कि जिले से संबंधित महत्वपूण आंकड़ों जैसे सहस्रशताब्दी विकास लक्ष्यों से संबंधित आंकड़ों, अधोसंरचना से संबंधित आकड़ों इत्यादि का डाटाबेस जो जिला के विज़न निर्माण की प्रक्रिया के दौरान तैयार किया गया था और जो लक्ष्य निधारित किया गए थे उनकी समय–समय पर समीक्षा की जाए। उदाहरण के तौर पर यह देखा जा सकता है कि योजना निर्माण के दौरान कितने हैंडपंप कार्य नहीं कर रहे थे और योजना के क्रियान्वयन के 2 माह पश्चात उनकी क्या स्थिति है।

2. सहभागितापूर्ण मूल्यांकन

जहां एक और संख्यात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कार्ययोजना की भौतिक प्रगति का विश्लेषण किया जा सकता है कि किन्तु कार्ययोजना को परिणामोन्मुखी बनाने हेतु सहभागितापूर्ण मुल्यांकन का स्थान महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जा सकता हैं।

- सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)
- समुदाय स्कोर कार्ड (Community Score Card)
- नागरिक रिपोर्ट कार्ड (Citizen Report Card)
- स्वयं से प्रकटन (Proactive Disclosure)

3. जिला योजना समिति मध्यप्रदेश योजना आयोग द्वारा विकेन्द्रीकृत जिला योजना हेतु तैयार साफ्टवेयर के माध्यम से भी विभिन्न स्तरों एवं विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी कर सकती है।

अनुलग्नक–1

जिला योजना निर्माण हेतु आंकड़ों के स्रोत

क्रम	मद	स्त्रोत	आंकड़ों के स्वामी	आंकड़ा संग्रहण अथवा अद्यतनीकरण की आवर्तिता
सामान्य				
1	लिंग, सामान्य और अ.जा, आयु और सामाजिक समूह के दृष्टिकोण से जनसंख्या	जनगणना, 2001	केन्द्र सरकार	प्रत्येक दशक पर
2	पंचायतों की संख्या, लिंग और सामाजिक समूह के दृष्टिकोण से चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या।	पंचायत विभाग	राज्य सरकार	प्रत्येक चुनाव के बाद
3	ब्लाक (संसाधन मानचित्रण) और जल स्त्रोतों के संबंध में, एवं प्राकृतिक संपदा के संबंध में	पंचायत विभाग, वानिकी, जल संसाधन	विभिन्न विभाग	परिवर्तनशील
4	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जनसंख्या की प्रतिशतता (पिछले पांच वर्ष)	पंचायत विभाग	राजस्व विभाग	वार्षिक रुप से
शिक्षा				
1	सामाजिक समूह और लिंग के आधार पर साक्षरता स्तर	जनगणना, 2001, 2004	केन्द्र सरकार	प्रत्येक दशक पर
2	लिंग के आधार पर नामांकन की दर, शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर	डीआईएसई एनआईईपीए	शिक्षा विभाग	वार्षिक रुप से
3	अध्यापक–छात्र अनुपात, प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रतिशतता, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक	डीआईएसई एनआईईपीए	शिक्षा विभाग	वार्षिक रुप से
4	स्कूलों की संख्या, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक	डीआईएसई एनआईईपीए	शिक्षा विभाग	वार्षिक रुप से
5	कला और विज्ञान कालेज, अभियंत्रण कालेज,मेडिकल कालेज, आईटीआई, व्यावसायिक संस्थान इत्यादि	शिक्षा विभाग	शिक्षा विभाग	वार्षिक रुप से
6	स्कूल तक पहुंच (दूरी के आधार पर, ग्राम के भीतर 2 किमी तक, 2–5 किमी, या इससे अधिक)	शिक्षा विभाग	शिक्षा विभाग	वार्षिक रुप से

स्वास्थ्य				
1	जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मर्त्यता दर	सिविल पंजीकरण स्कीम /जिला सांख्यिकी इकाई	शिक्षा विभाग	वार्षिक रुप से
2	लिंग के आधार पर आयु वितरण	जनगणना, 2001	केन्द्र सरकार	प्रत्येक दशक पर
3	ब्लाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ उप–केन्द्र द्वारा कवर की गई जनसंख्या	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य विभाग	वार्षिक रुप से
4	आईसीडीएस ;प्ब्क्ैद्ध द्वारा कवर की गई जनसंख्या	महिला और बाल विभाग	महिला और बाल विभाग	वार्षिक रुप से
5	स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, एएनएम, आईसीडीएस कार्यकर्ताओं की संख्या	स्वास्थ्य विभाग/ महिला और बाल विभाग	महिला और बाल विभाग	वार्षिक रुप से
6	प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ उप–केन्द्र में डाक्टरों, पैरामेडिकल कर्मचारियों की औसत संख्या	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य विभाग	वार्षिक रुप से
7	सरकारी अस्पतालों/निजि अस्पतालों, क्लीनिकों, इत्यादि की संख्या	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य विभाग	वार्षिक रुप से
8	स्वीकृत पदों की संख्या (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ उप–केन्द्र, आईसीडीएस) और भरे गये पदों की संख्या	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य विभाग	वार्षिक रुप से
आय और गरीबी संकेतक				
1	समाजिक समूह द्वारा की गई नवीनतम बी.पी.एल ;ठच्स्द्ध गणना के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे स्थित परिवारों की संख्या	ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण विकास विभाग	प्रत्येक वंचवर्षीय योजना पर
2	गरीबी की रुपरेखा– बीपीएल गणना कोडिंग के अनुसार बिना पक्के घर वाले परिवारों की संख्या, स्वामित्व वाली भूमि, व्यवसाय, शिक्षा का स्तर, उधारी, स्वामित्व इत्यादि के आदार पर बारंबारता बंटन	ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग	ग्रामीण विकास विभाग	वार्षिक रुप से

3	कार्य करने वाले बच्चों (बाल मजदूर) की अनुमानित संख्या	ग्रामीण विकास और पंचायत श्रम विभाग	श्रम विभाग	वार्षिक रुप से
4	उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, फसलों के तहत आने वाला क्षेत्र तथा प्रमुख फसलों की पैदावार दर अथवा फसलें सिंचित/असिंचित	कृषि विभाग/ टिआरएस /एलयूएस सांख्यिकी और सामान्य फसल आकलन सर्वेक्षण	कृषि विभाग	वार्षिक रुप से
5	आर्थिक गणना ;1998ध्2005द्ध के अनुसार उद्यमों की संख्या, कार्यकर्ताओं की संख्या, एनआईसी की श्रेणी के अनुसार किसी प्रमुख गणना 1998/2005 की सूची, कार्यकर्ताओं की संख्या	आर्थिक गणना/ डीआईसी डाटाबेस	उद्योग विभाग	वार्षिक रुप से
6	रोजगार वालों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या, लिंग के आधार पर शिक्षित रोजगार, लिंग के आधार पर बेरोजगार	पंचायत/ ग्रामीण विकास विभाग/ श्रम विभाग	श्रम विभाग	प्रत्येक पंचवर्षीय योजना पर
7	लिंग के आधार पर भूमिहीन मजदूरों, कृषि मजदूरों तथा अन्य मजदूरों की संख्या	पंचायत/ ग्रामीण विकास विभाग/ श्रम विभाग	श्रम विभाग	प्रत्येक पंचवर्षीय योजना पर
8	गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय	ग्रामीण विकास विभाग/ पंचायत विभाग(बीपीएल गणना)	श्रम विभाग	वार्षिक रुप से
9	कुशल / गैर–कुशल मजदूरों के लिए वेतन की दर	श्रम विभाग/श्रम ब्यूरो	श्रम विभाग	वार्षिक रुप से
10	खाद्य सुरक्षा–सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की गई वस्तुओं के संदर्भ में बाजार मूल्य की तुलना में सार्वजनिक वितरण प्रणली मूल्य, उपभोक्ताओं के आकलन के अनुसार आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता	खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग	खाद्य विभाग	वार्षिक रुप से
अवसंरचना और अन्य सुविधाएं				
1	क्या सभी ग्रामों को पक्की सड़कों के माध्यम से ब्लाक मुख्यालय से जोड़ा गया है, यदि नही तो क्या कच्ची सड़क/आधी पक्की सड़क से जोड़ा गया है	ग्रामीण विकास विभाग /योजना विभाग / पंचायत	ग्रामीण विकास विभाग और सार्वजनिक कार्य विभाग	वार्षिक रुप से
2	यदि ब्लाक के भीतर अवस्थित नहीं हो तो जिले से निकटस्थ नगर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पुलिस थाने तक	ग्रामीण विकास विभाग /योजना विभाग	ग्रामीण विकास विभाग और सार्वजनिक कार्य विभाग	वार्षिक रुप से

3	ऐसे ग्रामों की प्रतिशतता जहॉ विद्युतीकरण नहीं हुआ है	पंचायत / योजना विभाग / विद्युत बोर्ड	विद्युत विभाग	वार्षिक रुप से
4	निकटस्थ कृषि विपणन केन्द्र से दूरी	पंचायत विभाग	सहकारीता और कृषि विभाग	वार्षिक रुप से
5	व्यावसायिक बैंकों, बैंकों / ग्रामीण आरआरबीएस, सहकारी बैंकों की संख्या	कृषि विभाग / ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण विकास विभाग और / या संस्थागत वित्त विभाग	वार्षिक रुप से
6	धन उधार देने वालों की मौजूदगी (हा। / नहीं)	ग्रामीण विकास विभाग / कृषि विभाग	ग्रामीण विकास विभाग और / या संस्थागत वित्त विभाग	वार्षिक रुप से

स्रोत : एकीकृत जिला आयोजना मैनुअल (2008), योजना आयोग, भारत सरकार

अनुलग्नक– 2

मध्य प्रदेश अधिनियम

क्रमांक 19 सन् 1995

मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995

विषय सूची

धाराएंः

1. सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारभं

2. परिभाषाएं

3. जिला योजना समिति

4. समितियों की सरंचना

5. विशेष आमत्रित

6. निर्वाचित सदस्यों की अवधि

7. समिति के कृत्य

8. सचिव

9. उप समितियों का गठन

10. समिति का सम्मिलन

11. नियम बनाने की शक्ति

12. कठिनाइयां दरू करने की शक्ति

अनुसूची

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 19 सन् 1995
मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995

(दिनाकं 19 मई, 1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनाकं 23 मई, 1995 को प्रथम बार प्रकाशित की गई)

''भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य घ के प्रयोजनों के लिए जिला योजना समितियों का गठन करने तथा उससे आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम''

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :–

1. (1) इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 है।

(2) इसका विस्तार सपूंर्ण मध्यप्रदेश पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न– भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. इस अधिनियम मे ं जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

परिभाषाएं :–

(क) ''समिति'' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित जिला योजना समिति,

(ख) ''जिला'' का वही अर्थ होगा जो उसे मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता, 1959 (क्रमाकं 20 सन् 1959) में दिया गया है और इसमें सम्मिलित है एक या अधिक ऐसे राजस्व जिले या उनके भाग जो कि जिले के लिए गठित जिला पचांयत के भीतर समाविष्ट है.''

(ग) ''पंचायत'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 क्रमाकं 1 सन् 1994) के अधीन गठित पंचायत,

(घ) ''जनसंख्या'' से अभिप्रेत है, ऐसी अंतिम पूर्ववती जनगणना में, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं, अभिनिश्चित की गई जनसंख्या,

(ड.) ''नगरपालिकाए'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमाकं 23 सन् 1956) या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमाकं 37 सन् 1961) के अधीन गठित नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषदें तथा नगर पंचायतें

जिला योजना समिति :–

3. (1) जिले में की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा सम्पूर्ण जिले के लिये विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए किसी राजस्व जिले या राजस्व जिलों के किसी समूह (ग्रुप) तथा उसके भाग जो एक ही जिला पंचायत में हैं, एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा.

(2) प्रत्येक समिति, विकास योजना का प्रारूप तैयार करते समय, –

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी –

(एक) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के बीच सामान्य हितों के मामले जिसमें स्थान विषयक योजना, जल का बंटवारा और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधन, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संबंधी संरक्षण भी सम्मिलित है :

(दो) उपलब्ध संसाधनों, चाहे वे वित्तीय हों या अन्यथा की सीमा तथा प्रकार.

(ख) ऐसी सस्थाओं तथा संगठनों से परामर्श करेंगी जिन्हें राज्य सरकार, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे.

(3) जहां नगर पालिका/जिला पंचायत के विद्यमान सदस्यों की अवधि का अवसान हो गया हो और निर्वाचित सदस्य समिति के सदस्य नहीं रहते हैं तब शेष बच रहे सदस्य सहित समिति नए निर्वाचन होने तक कृत्यों का निर्वहन करती रहेगी।

समितियों की संरचना :–

4. (1) समिति में भिन्न भिन्न जिलों में 10, 15 या 20 सदस्य होंगे जैसा कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए,

(2) (एक) समिति के सदस्यो ं की कुल संख्या के 4/5 सदस्य, यथास्थिति, जिले या राजस्व जिलों के समूह (ग्रुप) में की जिला पंचायत तथा नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा तथा उनमें से विहित रीति में निर्वाचित किये जायेंगे.

(दो) ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में से निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या का अनुपात यथा सभंव निकटतम रूप से वही होगा जिस अनुपात में यथास्थिति, जिले या राजस्व जिलों के समूह (ग्रुप) में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जनसख्या है

(3) समिति के शेष सदस्य होंगे –

(क) मध्यप्रदेश राज्य का एक मंत्री जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा जो समिति का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा,

(ख) जिले का कलेक्टर जो सदस्य सचिव होगा,

(ग) जहां पर अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की संख्या–

(एक) पन्द्रह है तो एक सदस्य, या

(दो) बीस हैं तो दो सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेगें:

परन्तु उस जिले का कलेक्टर जिसमें जिला पंचायत वर्णित है, जिला योजना समिति का सदस्य–सचिव होगा.

(4) उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन नाम निर्देशित सदस्य ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जैसी की राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

विशेष आमंत्रित :–

5. (1) (क) ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का, जो जिले में पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य समिति के सम्मिलनों में स्थायी विशेष आंमत्रित होंगे.

(ख) राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा सदस्य उनकी अपनी पसंद के एक जिले की समितियों के सम्मिलनों में स्थाई विशेष आमंत्रित होंगें.

(2) ऐसे आमत्रिती, जो मत्री हैं या संसद सदस्य हैं समिति की बैठक में उनकी ओर से उपस्थित होने के लिए एक प्रतिनिधि को नाम निर्दिष्ट कर सकेंगे.

(3) जिले में जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा नगरपालिक निगम के महापौर भी उस दशा में स्थायी विशेष आमत्रिती होंगे, जबकि वे समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं हुए है।

निर्वाचित सदस्यों की अवधि :–

6. (1) समिति का निर्वाचित सदस्य, यदि वह यथास्थिति, जिला पंचायत या नगर पालिका का सदस्य नहीं रह जाता है तो समिति का सदस्य नहीं रह जायेगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन या किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र के कारण उद्‌भतू रिक्ति धारा 4 के उपबंधों के अनुसार भरी जाएगी।

समिति के कृत्य :–

7. समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी :–

(1) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय उद्‌देश्यों के ढांचे के भीतर रहते हुए स्थानीय आवश्यकताओं तथा उद्‌देश्यों का अभिनिर्धारण करना,

(2) योजनाओं को विकेन्द्रीकृत करने के लिए ठोस आंकड़ों का आधार सृजित करने हेतु जिले के प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों से संबंधित जानकारी का संग्रहण, संकलन तथा उन्हें अद्यतन करना और जिले एवं खण्ड के संसाधनों की रूपरेखा तैयार करना,

(3) ग्राम, खण्ड तथा जिला स्तरों पर उपलब्ध सुख–सुविधाओं को सूचीबद्ध करना तथा उनका निरूपण करना,

(4) उपलब्ध प्राकृतिक/मानव संसाधनों के अधिकतम तथा न्याय सम्मत उपयोग/विदोहन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं का अवधारण करना,

(5) पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को समेकित करते हुए जिले के सामाजिक–आर्थिक, भौतिक, सामयिक तथा स्थान संबंधी आयामों के परिप्रेक्ष्य में जिले की पंचवर्षीय और वार्षिक विकास योजना का प्रारूप तैयार करना तथा उसे राज्य की योजना में सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत करना,

(6) जिले के लिए रोजगार योजना तैयार करना,

(7) जिले की योजना के वित्तपोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का प्राक्कलन करना,

(8) जिला विकास योजना के सम्पूर्ण ढांचे के भीतर रहते हुए क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय परिव्ययों का आवंटन करना,

(9) विकेन्द्रीकृत योजना के ढांचे के अंतर्गत जिले में कार्यान्वित की जा रही स्कीमों कार्यक्रमों जिनमें केन्द्रीय सेक्टर/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीमें भी सम्मिलित हैं की प्रगति को मानीटर करना, उनका मूल्यांकन करना तथा पुनर्विलोकन करना,

(10) जिला योजनाओं में सम्मिलित स्कीमों के संबंध में नियमित प्रगति – रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना,

(11) ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों का अभिनिर्धारण करना जिनमें संस्थागत वित्तपोषण किया जाना अपेक्षित है, उन्हें जिला योजनाओं के साथ समुचित रूप से सम्बद्ध करने के उपाय करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उन्हें ऐसा वित्तीय विनिधान अपेक्षित मात्रा में प्राप्त होता रहे,

(12) विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता को सुनिश्चित करना,

(13) जिले के विकास की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली राज्य सेक्टर की स्कीमों के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देना,

(14) कोई अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा जिला योजना समिति को सौपें जाए।

सचिव :–

8. जिले का कलेक्टर समिति का सचिव होगा तथा समिति का अभिलेख रखने, चर्चाओं का अभिलेख तैयार करने तथा समिति के विनिश्चयों को संसूचित करने तथा उससे संसक्त अन्य सभी आनुषंगिक मामलों के लिए जिम्मदेार होगा।

उप समितियों का गठन :–

9. (1) समिति इस अधिनियम के अधीन उसको सौपें गये एक या अधिक कृत्यों के निर्वहन के लिए उप समितियों का गठन कर सकेंगी, जिनमें समिति के सदस्य और स्थाई विशेष आमंत्रित होंगे।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकलू प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उप समितियां विहित रीति में गठित की जाएगीः–

(एक) जिले में रोजगार के अवसरों के सृजन को मानीटर करने तथा स्वरोजगार सृजित करने वाली स्कीमों को सम्मिलित करते हुए रोजगार के अवसर सृजित करने वाली स्कीमों के कार्यान्वयन का समन्वय, करने के लिये

(दो) अनुसूचित जनजातियो, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण की विशिष्ट स्कीमों के लिए योजना बनाने तथा उनका समन्वय करने के लिए.

समिति का सम्मिलन :–

10. (1) समिति का सम्मिलन वित्तीय वर्ष की प्रत्यके तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित किया जाएगा.

(2) समिति के सम्मिलन नियत तारीख तथा समय पर जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाएंगे.

(3) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे.

(4) समिति अपने सम्मिलनों में उपस्थित होने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी.

(5) सम्मिलन में उपस्थित होने के लिए अशासकीय सदस्यों तथा विशेषज्ञों को ऐसा यात्रा–भत्ता तथा अन्य भत्ते जैसे कि विहित किए जाए, संदत्त किए जाएगें.

(6) राज्य सरकार द्वारा विरचित किसी नियम या जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांत के अध्यधीन रहते हुए समिति स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी।

नियम बनाने की शक्ति :–

11. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनो ं को कार्यान्वित करने के नियम बना सकेगी.

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधानसभा के पटल पर रखे जाएगें.

कठिनाइयॉ दूर करने की शाक्ति :–

12. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाली, कोई भी ऐसी बात कर सकेगी जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती हैः

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात नहीं किया जाएगाः

अनुलग्नक– 3

विकेन्द्रीकृत नियोजन वर्ष 2012–13 हेतु कार्यक्रम एवं समय सारणी

1.	क्च्ब् के सदस्यों का उन्मुखीकरण	जून 2011
2.	जिला मूल्यांकन एवं दृष्टि कार्यशाला	जून 2011
3.	जिला स्तरीय नियोजन दल का गठन जिला योजना समिति के अध्याधीन 6 सेक्टरों (तालिका–1) में नियोजन के लिये उप समितियों का गठन करना।	15 जून 2011 तक
4.	जिले के लिये गतिविधियों का कैलेण्डर तैयार करना	18 जून 2011 तक
5.	जनपद स्तरीय/नगरीय निकाय नियोजन दलों का गठन	20 जून 2011 तक
6.	ग्राम पंचायत स्तरीय एवं नगरीय वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता दलों ;ज्ैळद्ध का गठन (2 से 3 ग्राम पंचायतों/नगरीय वार्ड पर ;ज्ैळद्ध	25 जून 2011 तक
7.	जिला स्तर पर प्रशिक्षण (चिन्हित जिला, ब्लॉक एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों का डेंजमत ज्तंपदमते के रूप में)	30 जून 2011 तक
8.	जनपद/नगरीय निकाय स्तर पर ज्ैळ का प्रशिक्षण	10 जुलाई 2011 तक
9.	नियोजन की प्रक्रिया पर नियमित स्थानीय विज्ञापन	जून से सितम्बर 2011
10.	जिला/जनपद पंचायत, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों/सदस्यों के लिये उन्मुखीकरण सत्र	जून–जुलाई 2011
11.	नियोजन इकाईवार ज्ैळ भ्रमण कैलेण्डर तैयार करना	10 जून 2011 तक
12.	ग्राम स्तर, मोहल्ला/वार्ड स्तर पर नियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ करना एवं ग्राम सभा/वार्ड सभा में प्रस्तावित योजना/कार्यों को अनुमोदन	11 जुलाई से 11 अगस्त 2011
13.	ग्राम पंचायत पर ग्राम योजनाओं का समेकन	12 से 20 अगस्त 2011
14.	ग्राम/वार्ड सभा/ न्स्ठ की अनुमोदित योजनाओं की समीक्षा और ब्लाक योजना तैयार करना	21 से 31 अगस्त 2011
15.	जनपद स्तर पर एवं नगरीय निकाय स्तर पर डाटा प्रविष्टि, समेकन, प्रस्तावित कार्यों का विश्लेशण, विभागवार रिस्पोंस प्लान ;त्मेचवदेम च्संदद्ध बनाना एवं जिला स्तर पर समेकन हेतु भेजा जाना	1 से 14 सितम्बर 2011
16.	जिले के जन–मीडिया और नागर समाज संगठनों के साथ जिले की योजना के प्रारूप को साझा करना ताकि उनकी राय मिल सके	सितम्बर 2011
17.	स्थानीय चेम्बर आफ कामर्स, बडे औद्योगिक इकाईयों के साथ जिले की योजना के प्रारूप को साझा करना ताकि उनकी राय मिल सके	सितम्बर 2011
18.	जिला योजना समिति ग्रामीण एवं नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को समेकित कर एवं समस्त विभागों के त्मेचवदेम च्संदे का विश्लेषण कर जिला योजना को अंतिम रूप देना एवं राज्य योजना आयोग को प्रस्ताव भेजना	15 से 30 सितम्बर 2011
19.	राज्य योजना आयोग में जिलों के साथ चर्चा प्रारम्भ	1 अक्टूबर 2011 के बाद

संदर्भ सूची

- समेकित जिला योजना मैनुअल, राज्य योजना आयोग, मध्य प्रदेश
- समेकित जिला नियोजन मैनुअल, योजना आयोग, भारत सरकार (2008)
- मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995
- विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण, साफ्टवेअर, ;ीजजचरूध्ध्ड्रीण्उचवितमेजण्वतहध्क्ब्ध्द्ध राज्य योजना आयोग, मध्य प्रदेश
- मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, क्रमांक 19 सन् 1995 (21.3.2007 की स्थिति में)